रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939
No. 525] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASADHA 2, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2017

सा.का.नि. 634(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 के 59) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सड़क विनियमन, 1989 के नियम को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, मोटर यान चालन के लिए विनियमन बनाती है –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान चालन विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. परिभाषाएं –

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) "परिवहन मार्ग" से अभिप्रेत है वह जो सड़क का वह हिस्सा या हिस्से जिन्हें सामान्य रूप से यानों की यातायात के लिये उपयोग किया जाता है, बेशक उन्हें एक दूसरे से विभाजन पट्टी या स्तर के अंतर या बिना किसी विभाजन के अलग किया जाता है;

(ग) "संनिर्माण क्षेत्र" सड़क मार्ग का वह हिस्सा है जहां पर निर्माण प्रगति कार्य किया जा रहा है या किया जाने वाला है और जिसमें कार्य स्थल, यातायात स्थान या अवरोधक स्थल सम्मिलित हैं';

(घ) "भारी यान" का से अभिप्रेत है वह भारी माल यान या भारी सवारी के मोटर यान हैं जैसा अधिनियम की धारा 2 के खंड (16) और (17) में क्रमशः परिभाषित किया गया है;

(ङ) "चौराहे" से अभिप्रेत है किसी सम पार, चौराहे या कांटे से, जिसमें ये सम पार, चौराहे या कांटे शामिल हैं;

(च) "लंबवत चिन्हांकन" से अभिप्रेत है सड़क के चिन्ह जिन्हें यातायात की यातायात के लिये सड़क पर प्रदान किया जाता है;

(छ) "प्रमुख जिला सड़क" से अभिप्रेत है एक जिले में राज्य सरकार द्वारा इस तरह के रूप में अधिसूचित महत्वपूर्ण सड़कें हैं,

(ज) "प्रमुख सड़क" से अभिप्रेत है उन राजमार्ग से जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है या अन्य कोई राजमार्ग जिसे कथित अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(झ) "यान स्थल" से अभिप्रेत है ऐसे स्थल से जहां पर व्यक्तियों/यानों, माल या सामान को उतारना या उठाना छोड़कर या किसी अन्य प्रयोजन के लिये यानों को एक स्थिर स्थिति में प्रतीक्षा करने के लिये खड़ा किया जाता है, और इसके लिये यान का तीन मिनट से अधिक समय तक रूकना सम्मिलित है;

(ञ) "सवारी" या "यात्री" से अभिप्रेत है एक मोटर यान पर यान के चालक को छोड़कर यात्रा करने वाले यात्री से है, बेषक वह भाड़े या पुरस्कार या अन्यथा किसी तरीके से यात्रा कर रहा है;

(ट) "रास्ते के अधिकार" से अभिप्रेत है वह यान या किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता को विधिपूर्वक रीति से प्राथमिकता देकर दूसरे यान से पहले रास्ता देने का अधिकार है या किसी अन्य आने वाले सड़क उपयोगकर्ता को दिशा, गति, और निकटता की परिस्थितियों में यदि एक को दूसरे की अपेक्षा प्राथमिकता नहीं दी जाती तब इससे खतरा या आपस में टकरा सकते हैं;

(ठ) "सड़क" में पुल, सुरंगें, सड़क के किनारे यान खड़ा करने का स्थान, ढोने की सुविधा, अदला बदली, गोल चक्कर, सुरक्षित/निरापद क्षेत्र, सड़क विभाजक, सभी यातायात गलियां, तीव्र लेन, मंद लेन, अंतःस्थल, ओवरपास, अंडरपास, पहुंच मार्ग, प्रवेश और निकास रैंप, टोल प्लाजा, और निर्माणाधीन सड़कें शामिल हैं लेकिन इसमें कोई निजी सड़क सम्मिलित नहीं है;

(ड) "सड़क के निशान" से अभिप्रेत है वह सड़क के चिन्हों को छोड़कर उन पंक्तियों, आकारों, शब्दों से जिन्हें सड़क मार्ग या फुटपाथ या सड़क मार्ग में या उनके साथ सटी वस्तुओं में सड़क उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित, चेतावनी, मार्गदर्शन और सूचना प्रदान करने के लिये चित्रित किया जाता है।

(ढ) "सड़क उपयोगकर्ता" में यान चलाने वाला व्यक्ति या यान में सवारी करने वाला यात्री या अन्यथा एक पैदल व्यक्ति सम्मलित है;

(ण) "शांन्त क्षेत्र" से अभिप्रेत है वह ऐसा क्षेत्र या इलाका है जिसमें एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वनि संकेतों के उपयोग को निसिद्ध अधिसूचित किया गया है;

(त) "राज्य राजमार्ग" से अभिप्रेत है जो राज्य की प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें कथित राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाता है,

(थ) "ठहराव" से अभिप्रेत है जो यान को स्वतंत्र इच्छा पर या तो सवारियों को बिठाने या उतारने या तुरन्त माल लादने या उतारने के लिये बहुत कम अंतराल के लिये रोकना है;

(द) "यातायात" में हर श्रेणी के यान और अन्य मालवाहक और परिवहन, पैदल चलने वाले, जुलूस, पशुओं द्वारा ढोइे गाड़ी या पशुओं के झुंड, और यात्रा के प्रयोजन के लिए कोई भी सड़क या राजमार्ग का उपयोग करने वाला सभी रूपों में सड़क यातायात शामिल हैं;

(ध) "निरापदक्षेत्र" से अभिप्रेत है वह सड़क मार्ग पर चौराहों के निकट आने जाने वाले यानों को नियंत्रित करने के लिये वास्तविक उपाबन्ध और सड़क मार्ग पर चिन्हित चिन्ह हैं;

(न) "पारगमन चिन्ह" से अभिप्रेत है वह सड़क चिन्ह हैं जिन्हें सड़क मार्ग पर शुरू से अंत तक प्रदान किया जाता है।

(1) इन विनियमों में प्रयुक्त कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति, जिसे यहां पर परिभाषित नहीं किया गया है, उसका वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. **अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और साधारण जनता के प्रति कर्तव्य** :– कोई भी यान सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से चलाया, रोका या खड़ा नहीं किया जाएगा, जिसके कारण अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा, या असुविधा होने की संभावना हो सकती है।

4. **यानों के द्वारा सड़कों का उपयोग करना –**

(1) प्रत्येक यान या यानों के संयोजन, सड़क पर चलाते समय, चालक द्वारा संचालित होगा।

(2) एक मोटर यान सड़क मार्ग पर चलाया जाएगाः

परन्तु दोहरे सड़क मार्ग पर, यान सड़क मार्ग के बांई ओर चलाया जाएगा जब तक अन्यथा उस समय ड्यूटी पर वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी या उपयुक्त सड़क चिन्ह द्वारा उसे अन्य निर्देश नहीं दिया जाता।

(3) जब तक सड़क चिन्ह या निशान अन्यथा संकेत नहीं करते, चालक यान को सड़क मार्ग के बांई ओर जितना संभव हो सकता है चलाएगा, और विपरीत दिषा से आने वाले सारे यातायात को अपनी दांई ओर से निकल जाने का अधिकार देगा।

(4) किसी अन्य यान द्वारा पिछेलने में करते समय और जब किसी ऐसे मोड़ या पहाड़ी पर पहुंचते समय जहां आगे का दृश्य बाधित है या स्पष्ट नहीं है चालक को अपना यान बांई ओर रखना होगा।

(5) एक भारी यान या गति प्रतिबंधित यान एक ही दिशा के सड़क मार्ग में बहुल पंक्ति के साथ एक दिशा में बाईं लेन में चलाया जाएगा, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जहां पिछलना पर करने में बाधा उत्पन्न होती है या यान धीमी गति में चल रहे हैंः

परंतु चालक बाधा या धीमी गति से चलते यानों को पार करने के बाद जितना जल्दी संभव हो अपनी बाईं यथास्थिति लेन/पंक्ति में वापस सुरक्षित आ जाता है ।

(6) एक यान ऐसी सड़क पर नहीं चलाया जाएगा जिसे, "एक तरफा" घोषित किया गया है, सिवाय साइनेज़/चिन्हांक में निर्दिष्ट दिषा को छोड़कर

(7) कोई भी चालक यातायात प्रवाह के विपरीत यान को न खींचेगा, न धक्का लगायेगा, न ही चलाएगा, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जब समुचित प्राधिकरी द्वारा विशेष रूप से उसे ऐसा करने के लिये या यातायात संकेत स्थापित किया गया है या कर्तब्य पर तैनात वर्दी में उपयुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है।

(8) चालक को किसी यान को पीछे की ओर घुमाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना होगा और उसकी ओर तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक कथित यान द्वारा पीछे घुमाने/करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली गई है।

5. चालकों और सवारियों के कर्तव्य –

(1) प्रत्येक चालक हर समय पूरी देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएगा।

(2) चालक यान चलाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं उसके पूर्ण नियंत्रण में हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से यान चलाने के लिये पूरी तरह सक्षमहै।

(3) चालक हर समय सड़क और यातायात पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखेगा और पूरा ध्यान केंद्रित करेगा ताकि किसी भी समय ध्यान भंग/भटकने की स्थिति उत्पन्न होने या उसकी संभावना से उसका ध्यान भटकने से बच सके।

(4) चालकऔर यात्री पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के रूप में सबसे कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएंगे।

(5) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान चलाते या उसे स्थिर स्थिति में खड़ा करते समय, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं या किसी सम्पत्ति के स्वामी को ऐसा करने के कारण किसी प्रकार की बाधा या अनुचित असुविधा न हो।

(6) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी दृष्यता बाधित न हो और उसकी सुनने की षक्ति यान के यात्रियों, पशुओं, भार, यान में रखे उपकरण या यान की स्थिति के कारण प्रभावित न हो।

(7) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि वह और यान के अन्य सवार सीट बेल्ट बांध लें, यदि यान में वह प्रदान किये गये हैं।

(8) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपयुक्त बच्चों की सुरक्षित प्रणाली में बिठाया गया है, जहां भी वह प्रदान किये जाते हैं।

(9) जहां कहीं भी किसी मोटरसाइकिल साइडकार के साथ या उसके बिना प्रदान की जाती है या विधि के अंतर्गत, पिछली सीट पर बैठा सवार और साइडकार पर बैठे सवार को सुरक्षात्मक सिर के उपकरण (हेलमेट) या कानून के अंतर्गत उस समय निर्दिष्ट किसी अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनना होगा।

(10) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान में तेज संगीत नहीं चलाया जाएगा।

(11) यान चलाते समय चालक डिजिटल गतिशील पिक्चरें या वीडियो, नहीं देखेगा, सिवाय जहां मार्ग प्रदर्शन के लिए ऐसा करना आवश्यक है परंतु चालक उस उपकरण का मार्ग प्रदर्शन के लिये इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि उसका ध्यान यान चलाते समय भटक न जाए।

(12) चालक को तत्समय प्रचलित शराब और नशीली दवाओं और धूम्रपान निषेद्ध से संबंधित सभी विधियों का सख्ती से पालन करना होगा, और वह सुनिश्चित करेगा कि अन्य दल, सवार और यात्री,यदि कोई है, वह भी इनका अनुपालन करेंगे।

(13) यान पर बैठते और उसमें से बाहर निकलते समय चालक अपनी और अपनी सवारियों की देखभाल करेगा, ताकि वह अपने साथ अन्य कर्मचारीवृंद, यात्रियों तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

(14) चालक किसी भी सार्वजनिक स्थान में ऐसा यान नहीं चलाएगा, जो उसके ज्ञान में, साधारण देखभाल करते समय दोषपूर्ण पाया जाता है, और कथित दोष के कारण यान चलाने से यान के स्वामी के या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को अनुचित खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है।

(15) यदि यान चलाते समय उसमें कोई तकनीकी त्रुटि आ जाता है, तब जितनी जल्दी संभव होगा चालक यान को तुरन्त सड़क से सुरक्षित रूप में दूर ले जाएगाः

परंतु कि बैटरी चालित दुपहिया यान चलाते समय कोई तकनीकी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा सकता है।

(16) मोटर साइकिल या तिपहिया पर सवारी करते या चलाते समय, चालक या सवारी किसी अन्य यान को न पकड़ेगा या न ही धक्का देगा।

(17) मोटर साइकिल या तिपहिया यान का चालक हर समय अपने दोनों हाथ से हैंडल पकडकर रखेगा सिवाय उस समय छोड़कर जब वह विनियम 9 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार संकेत प्रदर्शित करने का कौशल करता है।

(18) चालक अपने पैर पैडल या फुटरेस्ट से केवल उस समय हटायेगा जब सड़क की स्थितियां या सुरक्षा ऐसा करने के लिये के लिये आवश्यक हैं।

6. **लेन यातायात** –(1) जहां किसी सड़क को यातायात की यातायात के लिये लेन में चिह्नित किया जाता है, चालक लेन के भीतर यान चलाएगा, और केवल उपयुक्त संकेत या सड़क के चिन्ह या सड़क के निषान या संकेतक देकर लेन बदलेगा।

(2) जहां किसी लेन को विषेषरूप से यानों की श्रेणी के लिये चिन्हित किया जाता है, वहां केवल यानों की कथित श्रेणी ही उस लेन पर चलाई जाएंगी।

(3) जहां एक लेन को निर्दिष्ट श्रेणी या किसी विशेष प्रयोजन के यानों के लिये चिन्हित किया जाता है, उस लेन पर किसी अन्य यान या अन्य श्रेणी के यानों को नहीं चलाया जाएगा।

(4) जहां किसी सड़क को एक लंबवत पीली रेखा या ठोस सफेद रंग की पंक्ति से विभाजित किया जाता है, चालक उसी दिषा में आगे बढ़ने और अपने से आगे वाले यान को पिछेलना/पार करने का प्रयास करते समय, कथित पीली या सफेद ठोस पंक्ति को पार नहीं करेगा।

(5) चौराहों पर पहुंचने के समय, जहां मुड़ने वाली पंक्तियां एकल ठोस पंक्ति के साथ चिन्हित हैं, चालक सुनिश्चित करेगा कि यान उसी दिशा में रहेंगे जिसके लिये निर्दिष्ट किया गया है।

(6) चालक एकल या दोराहे लंबवत ठोस पंक्ति पर या उसके ऊपर या चित्रांकित सुरक्षित यातायात क्षेत्र पर यान नहीं चलाएगा, सिवाय उस मामले को छोड़कर जब आगे सड़क अवरूद्ध है।

(7) एक ऐसी सड़क पर जिसके साथ–साथ एक खंडित रेखा चिन्हित है, चालक यान चलाते समय उस खंडित रेखा को केवल पिछेलना करते समय ही पार करेगा, और पिछेलना करने के उपरान्त विनियम 12 में निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों का अनुपालन करते हुए वापस अपनी लेन पर वापस आ जाएगा।

7. **रास्ते का अधिकार** –

(1) जहां सड़क पर "रूकने" के संकेत प्रदर्शित किये जाते हैं, संकेत के सामने चालक –

(क) "रूकने" के संकेत से पूर्व आड़ी "रूकने" की रेखा पार करने से पहले रूक जाएंगे;

(ख) यदि किसी मामले में "रूकने" की रेखा चिन्हित नहीं की गई है, या चिन्हित की है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, तब "रूकने" के संकेत से पहले रूक जाएंगे;

(ग) प्रमुख सड़क पर यातायात को रास्ता देंगे; और

(घ) प्रमुख सड़क पर केवल तब प्रवेश करेंगे जब आगे का रास्ता साफ है।

(2) जहां सड़क पर एकल या दोहरी खंडित आड़ी रेखाओं के साथ मिलाकर "रास्ता देने" का संकेत प्रदर्शित किया गया है, चालक यान धीमा कर देगा, जिस सड़क पर आगे जा रहा है वहां पहले यातायात को रास्ता देगा और फिर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेगा।

(3) यदि वहां "रास्ता देने" के संकेत या "रूकने" के संकेत से पहले कोई पैदल पार पथ चिन्हित नहीं किया गया है, चालक पहले पैदल पार करने वाले लोगों को रास्ता देगा।

(4) सड़क किनारे किसी संपत्ति की चारदीवारी से निकलने वाले यान को पहले दूसरे मोटर यानों और सड़क पर पहले से चल रहे यातायात को रास्ता देना होगा।

8. **बांए, दांए और 'यू–टर्न** –एक मोड़ आने से पहले चालक अच्छी तरह अग्रिम योजना बनाएगा, सड़क पर उचित लेन में आ जाएगा और निम्नलिखित तरीके से अपना इच्छित मुड़ने का संकेत देगा, अर्थात :–

(क) एक चालक जो बांई ओर मुड़ना चाहता है सही समय पर बांई ओर अपने मुड़ने के इरादे का या तो दिशा संकेतक या उपयुक्त हाथ का उपयोग करते हुए संकेत देगा;

(ख) बांए मुड़ने से पहले, चालक उचित समय पर, जितनी दूर तक बांई ओर की लेन पर या गली का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेगा, यदि प्रदान की गई है;

(ग) एक बहु–लेन सड़क पर यान चलाते समय, जहां सड़क पर बाईं ओर दिशा संकेतक तीर चिह्नित किये गये हैं, चालक को बांई ओर मुड़ते समय उस लेन का प्रयोग करना होगा;

(घ) बाईं लेन में जाने से पहले, चालक अपने बांई तरफ और उसके पीछे से आने वाले यातायात को ध्यान में रखते हुए, केवल बांई ओर को संकेत देकर लेन बदलेगा;

(ङ) बांए मुड़ने से पहले, चालक को साइकिल चालकों और अन्य धीमी गति से चलने वाले यातायात को रास्ता देना होगा;

(च) अनियंत्रित पैदल यात्री पार पथों पर, चालक को बाईं ओर मुड़ने से पहले पैदल चलने वालों को रास्ता देना होगा;

(छ) एक यान, जो अपनी बड़ी त्रिज्या के कारण मुड़ने में असमर्थ है ऐसे यान को बाईं लेन के अंतिम छोरपर पहुंचकर मुड़ना आवश्यक है, उस यान का चालक पिछले देखने वाले शीषे से बांई ओर के यातायात पर नजर रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक यान को मोड़ना होगा;

(2) दांई ओर मोड़ना—

(क) जो चालक दांई ओर मुड़ने की इच्छा करता है स्पष्ट रूप से और सही समय पर दांई ओर मुड़ने के इरादे का दिशा संकेत या हाथ के संकेत का उपयोग करते हुए संकेत देगा;

(ख) दांई ओर मुड़ने से पहले, चालक सही समय पर दांई ओर की लेन में प्रवेश करेगा;

(ग) एक बहुल—लेन सड़क पर यान चलाते समय, जहां सड़क पर दांई ओर इशारा करते हुए दिशा तीर चिन्हित किये गये हैं, चालक उस लेन में रहते हुए दांई ओर मुड़ेगा;

(घ) अनियंत्रित पैदल यात्री पार पथों पर, चालक को पहले पैदल चलने वालों के लिए रास्ता देना होगा।

(3) 'यू' टर्न लेना —

(क) एक यान 'यू' टर्न नहीं लेगाः

(i) जहां कथित'यू' टर्नएक सड़क चिन्ह या यातायात चिन्हांक द्वारा निषिद्ध है;

(ii) निरंतर प्रवाह के यातायात के साथ एक व्यस्त सड़क पर;

(iii) प्रमुख सड़क, राजमार्ग या चौड़े रास्ते/एक्सप्रेसवे पर; तथा

(iv) निरंतर एकल या दोहरी ठोस रेखा के आरपार;

(ख) यदि वहां यान के आसपास कोई अस्पष्ट स्थान हैं ऐसी स्थिति में चालक 'यू' टर्न नहीं लेगा और बारीकी से विपरीत दिशा से आने वाले यातायात का अवलोकन करने के बाद और बगल के यातायात और पिछले देखने वाले शीशे पर पीछे से आने वाले यातायात पर दृष्टि रखते हुए ही पलराव लेगा।

(ग) चालक को दांई ओर मुड़ने के लिये पहले पैदल और साइकिल चालकों सहित अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को रास्ता देना होगा जिनके पास रास्ते का अधिकार है;

(घ) चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे आनेवाले यातायात का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा है और वह अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिये किसी प्रकार की अनुचित असुविधा का कारण नहीं बनेगा और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा;

(ङ) एक बड़ा यान बाईं लेन से पलराव ले सकता है केवल जब उसे इसकी अनुमति प्राप्त हो जाती है।

9. चौराहों पर बरती जाने वाली सावधानियां —

(1) सड़क के चौराहे, सड़क जंक्शन, पैदल पारपथ या सड़क के किनारे पर पहुंचने पर यान को निरपवाद रूप से गति धीमी करनी होगी, और इस तरह के किसी चौराहे, सड़क जंक्शन, पारपथ पर प्रवेश नहीं करेंगे जिससे यातायात करते हुए अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरे की संभावना हो सकती है, या जो सड़क उपयोगकर्ता कथित चौराहों, सड़क जंक्शनों, पैदल पारपथों या सड़क किनारे पहले से ही उपस्थित हैं।

(2) चौराहों और जंक्शनों पर, दाईं ओर से आ रहे यान को पहले रास्ते का अधिकार होगाः

परंतु यह उप—विनियम लागू नहीं होगा, —

(क) जब जंक्शन या चौराहे किसी प्राधिकृत व्यक्ति, यातायात लाइटों या अनिवार्य यातायात संकेतों द्वारा हाथ/मैनुअल संकेतों द्वारा विनियमित किये जा रहे हैं;

या

(ख) जब यान एक छोटी सड़क पर है और प्रमुख सड़क पर प्रवेश करने वाला है।

(3) एक मोटर यान चौराहे पर प्रवेश नहीं करेगा यदि चौराहे पर यातायात रूक गया है यहां तक कि प्रमुख सड़क पर या आगे जाने के लिये संकेत मिल गया है।

10. गोल चक्करों पर अपनाई जाने वाली सावधानियां —

(1) गोल चक्कर पर प्रवेश करते समय, गोलचक्कर पर पहले से उपस्थित यातायात को पहले रास्ते का अधिकार होगा।

(2) गोल चक्कर के पास पहुंचने वाले मोटर यान को उसके आगे बढ़ने के लिये प्रासांगिक लेन की दिशा का चयन करना होगा।

(3) गोल चक्कर के भीतर लेन बदलते समय चालक संकेत का उपयोग करेगा।

(4) गोल चक्कर से बाहर निकलते समय बांई ओर मुड़ने के लिये, चालकविनियमन (6) के उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा।

11. सिग्नलों के संकेत

(1) चालक स्पष्ट रूप से बांए या दांए मुड़ने और किसी कौशल करने से पहले अपनी लेन बदलने के इरादे का यान में लगे यांत्रिक या बिजली उपकरणों को उपयोग कर या हाथ से संकेत करेगा।

(2) किसी मामले में यदि यान में यांत्रिक या विद्युत संचालित उपकरण नहीं लगाए गये या, कथित उपकरण लगाए गये हैं लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं, चालक निम्न निर्दिष्ट किये अनुसार हाथ से संकेत देगा –

(i) यान रोकने के लिए, चालक को दांई ओर अपना दांया हाथ यान के बाहर निकालकर लंबवत उठाना होगा;

(ii) दांई ओर मुड़ने या अन्य यान को पार कर सड़क के दांई ओर यान चलाने के लिये या किसी अन्य कारण, चालक को अपना दांया हाथ चालक यान के बाहर निकालकर अपने यान के दांई ओर क्षैतिज स्थिति में आगे हथेली की स्थिति में उठाना होगा;

(iii) बाईं ओर मोड़ने या सड़क के बाएं हाथ की ओर यान चलाने के लिए, चालकको अपने दाहिना हाथ बाहर निकालकर वामावर्त दिशा में घुमाना होगा;

(iv) चालक अपने पीछे आने वाले यान को पिछेलना करने का संकेत दे सकता है, ऐसा करने के लिये चालक अपना दांहिना हाथ यान के दांई ओर क्षैतिज अवस्था में बाहर निकालेगा, और अर्ध–गोलाकार लय में आगे और पीछे घुमाएगा।

12. यातायात नियंत्रण सिग्नलः– यातायात नियंत्रण सिग्नलपर पहुंचते समय, यान को अपनी गति धीमी करनी होगी और निम्न रीति से दिये गये नियंत्रण सिग्नलों का अनुपालन करना होगा अर्थात् :–

(1) लाल यातायात बत्ती–

(क) एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रण सिग्नल की लाल बत्ती के सामने, पैदल पार पथ से पहले रूकने की रेखा से पहले यान को रोकना होगा;

(ख) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं की गई है या, यदि चिह्नित की गई है मगर दिखाई नहीं दे रही है, यान पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा;

(ग) यदि वहां पर कोई पैदल पार पथ चिन्हित नहीं है, यान प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले रोकना होगा;

(घ) यातायात सिग्नल की हरी बत्तीबदलने पर यान को सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा;

(ङ) जब, एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, यातायात नियंत्रण सिग्नल द्वारा निरंतर लाल बत्ती जल्दी रुक–रुक कर चमकती है, सिग्नल पर प्रतीक्षा करने वाला यान, –

(i) पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोकना होगा;

(ii) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं है, या चिह्नित है पर दृष्य नहीं है, यान को पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोकना होगा;

(iii) यदि वहां चौराहे पर पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा चिन्हित नहीं है तब आप प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले यान को रोकेंगे;

(iv) पहले पैदल चलने वालों और प्रमुख सड़क पर चलने वाले यानों को रास्ते का अधिकार देने के बाद सिग्नल को पार कर यान आगे ले जाएं;

(च) खंड (क) से (घ) में निहित होते हुए भी, एक मोटर यान बांई ओर मुड़ सकता है ओर चौराहे पर उसके दांई ओर से आने वाले यातायात और बांई ओर से चौराहा पार करने वाले पैदल और साइकिल चालकों को रास्ते का अधिकार देने के बाद आगे बढ़ सकता है जब तक यातायात नियंत्रित उपकरण या सड़क का कोई संकेत लाल लाल बत्ती जलने तक बांई ओर मुड़ना निषिद्ध नहीं करता;

(2) हरी यातायात बत्ती, –

(क) जब एक चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त अन्य यातायात नियंत्रित सिग्नल पर हरी बत्ती जल रही या चालू है, हरी बत्ती के सामने मोटर यान,–

(i) यदि आगे का रास्ता साफ है तब यान को चौराहे में या पैदल पार पथ पर आगे ले जाएगा;

(ii) यदि किसी मामले में यातायात नियंत्रित सिग्नल द्वारा हरा दिषा तीर भी प्रदर्षित किया गया है तब केवल हरे दिषा तीर संकेत दिखाई देने पर यान को उस दिषा में आगे बढ़ाएं;

(iii) चौराहे के भीतर या पैदल पार पथ के बगल मेंउपस्थित किसी भी पैदल यात्री,और किसी अन्य यान को रास्ता दें जो हरी बत्ती बदलने के समय चौराहे के भीतर उपस्थित है;

(ख) जब, एक चौराहे पर, यातायात नियंत्रितसिग्नल द्वारा लगातार तेजी से रुक रूक कर हरे चमकते तीर के सिग्नल का सामना करने वालामोटर यान पहले पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और जिस मार्ग पर चालक यान ले जा रहा है उसमें मिलने वाले मार्ग पर रास्ता देने के बाद प्रदर्षित किये गये तीर की दिशा में यान आगे बढ़ाएगा।

(3) नारंगी यातायात बत्ती, —

(क) जब, एक चौराहे पर या एक चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, किसी यातायात नियंत्रितसिग्नल पर नारंगी रोशनी होती है, नारंगी रोशनी के सामने आने वाला यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले यान को रोक देगा;

(ख) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं है या, यदि चिह्नित रेखा दिखाई नहीं देती, यान को पैदल पार पथ से पहले रोकना होगाः

परंतु यदि कोई चिन्हित पैदल पार पथ न होने पर, यान प्राथमिक यातायात बत्ती के सिग्नल से पहले रूकेगा जब तक वह रूकने की रेखा को पार नहीं कर जाता या रूकने की रेखा के बहुत निकट पहुंच गया है कि अचानक यान रोकने के कारण पीछे से आने वाले यानों के साथ टकराने का खतरा हो सकता है;

(ग) चौराहे पर यातायात नियंत्रित सिग्नल पर तेजी से रूक रूक कर चमकने वाली नारंगी रोषनी के सामने या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यान को धीमा कर देगा और चौराहे पर या पैदल पार पथ पर बड़ी सावधानी के साथ पैदल यात्रियों और अन्य यानों को जो उससे पहले चौराहे पर हैं रास्ता देकर आगे यान ले जा सकता है।

13. मैनुअल यातायात नियंत्रण—

(1) जहां चौराहे पर या उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति यातायात नियंत्रित करता है, चालक को अपना यान धीमा करना होगा और कथित अधिकारी या व्यक्ति के निर्देषों का पालन करना होगा।

(2) जहां वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा "रूकने" का सिग्नल दिया जाता है, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोक देगा।

(3) किसी मामले में "रूकने" की रेखा चिह्नित नहीं है या, यदि चिह्नित है पर दिखाई नहीं दे रही, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रोक देगा।

(4) किसी मामले में पैदल पार पथ चिह्नित नहीं है, चालक अपना यान गंतव्य सड़क के पास चौराहे पर रोक देगा।

(5) जब एक यान वर्दी में पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए संकेत के अनुपालन में "रोक"दिया गया है, वह तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कथित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा आगे बढ़ने का संकेत नहीं दिया जाता।

14. पिछेलना —

(1) एक मोटर यान किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता को पिछेलना करआगे नहीं जाएगा जब तक ऐसा करना सुरक्षित और उस समय लागू अधिनियम या नियमों के उपावंधों का उल्लंघन नहीं है।

(2) किसी भी यान को केवल दाईं ओर से पिछेलना/पार किया जाएगाः

बशर्ते कि यान को बांई ओर से पिछेलना किया जा सकता है, यदि —

(क) जिस यान को आगे निकलना/पिछेलना करनाया जिस यान से आगे निकलना/पिछेलना करना है वह दोनो एक बहुल—लेन वाली सड़क पर चल रहे हैं और अगले यान को सुरक्षित रूप से बांई ओर से चिन्हित पंक्ति में पिछेलना किया जा सकता है;

(ख) पिछेलना किये जाने वाला यान या तो दांए मुड़ रहा है या सड़क के मध्य से पलराव ले रहा है और मुड़ने का सिग्नल दे रहा है और उसे बांई ओर से पिछेलना करना सुरक्षित होगा; या

(ग) पिछेलना किये जाने वाला यान स्थिर अवस्था में खड़ा है और उसके बांई ओर से आगे जाना सुरक्षित होगा।

(3) किसी भी यान को ऐसी स्थिति में पिछेलना नहीं किया जाएगा यदि पिछेलना करने से उस ओर आने वाले यातायात के बाधित होने की संभावना हो।

(4) पिछेलना करते समय, यान की गति पिछेलना किये जाने वाले यान से अधिक होगी, लेकिन गति अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिकतम गति सीमा से अधिक नहीं होगी।

(5) कोई यान पिछेलन नहीं करेगा—

(क)यदि यातायात की स्थिति स्पष्ट नहीं है;

(ख) यदि किसी अनिवार्य यातायात संकेत द्वारा निषिद्ध किया गया है;

(ग) निरंतर एकल या दोहरीचिन्हित ठोस लंबवत लेन/पंक्ति जो सड़क को विभाजित करती है उसे पार कर;

(घ) किसी मोड़ या कोने पर या आगे सड़क पर किसी भी तरह की बाधा के परिणामस्वरूप जहां स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता;

(ङ) जंक्शनों, चौराहों और पैदल यात्री पार पथों पर;

(च) पारगमन स्थान पर जहां सड़क संकरी हो जाती है याजहां प्रमुख मार्ग के साथ गली/लेन चौड़ाई में कम हो जाती है;

(छ) किसी संकरी पुलिया पर; या

(ज) एक सड़क जहां पर सड़क संकेत द्वारा "स्कूल क्षेत्र" या "अस्पताल क्षेत्र" या "निर्माण क्षेत्र"के संकेत दिये गये हैं।

(6) चालक पिछेलन करने के अपने आषय को दिखाने के लिए दिशा संकेतक का उपयोग करेगा और जितना जल्दी संभव हो सकेगा पिछेलना करने के बाद सड़क पर अपनी बांई ओर वापस आ जाएगा।

(7) पीछे वाले यान को पिछेलन/आगे जाने की अनुज्ञा के लिये कोई भी चालक दांई ओर का सिग्नल नहीं देगा।

(8) बाहरी निर्माण क्षेत्रों में, आगे जाने वाले यान को पिछेलन करने के आशय का चालक बहुत अल्प अवधि के लिए हार्न/भौंपू बजाकर या हेडलाइट को जला बुझाकर संकेत देगा और और अगले यान के चालक द्वारा पिछेलना करने के संकेत मिलने के बाद ही यान आगे/पिछेलन कर सकता है या तब जब आगे का रास्ता साफ नहीं हो जाता।

(9) यदि एक यान किसी अन्य यान को पिछेलन करता है, पिछेलन किये जाने वाले यान का चालक अपने यान की गति नहीं बढ़ाएगा या पिछेलन करने वाले यान को बाधा उत्पन्न कर उसे वापस बांई लेन पर जाने के लिये बाध्य नहीं करेगा।

15. यातायात में विलय –

(1) एक राष्ट्रीय राजमार्ग या यथास्थिति एक राज्य के राजमार्ग या एक प्रमुख जिला सड़क में प्रवेश करने वाले मोटर यान को पहले राजमार्ग या प्रमुख जिला सड़क पर चलने वाले यातायात को रास्ता देगा।
(2) एक ही श्रेणी की दो सड़कों के चौराहे पर, दांई ओर यान के चालक को रास्ते का अधिकार होगा।
(3) जहां कहीं भी लागू हो, चालक राजमार्ग पर या प्रमुख जिला सड़क पर यातायात में मिलने वाली लेन में विलय करने से पहले यान की गति को तेज करेगा।
(4) यातायात में विलय करने से पहले और करते समय, चालक यान के पीछे देखने वाले और बगल में देखने वाले षीषों से यातायात पर पैनी नज़र रखेगा और उसके बाद ही विलय/मिलने के आषय का संकेत करेगा।
(5) चालक किसी यान या उसके आगे जाने वाले यान को पिछेलन करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक वह बांई ओर की लेन पर या जिस लेन पर वह उस समय यान चला रहा बहुत ज्यादा समय से रूका नहीं हुआ है।

16. गति –

(1) चालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसके यान की स्थिति और उसका भार, सड़क, अन्य यातायात, दृष्यता और मौसम षामिल हैं, एक चालक केवल उस समय यान की गति बढ़ायेगा जब यान पर हर समय उसका नियंत्रण है।
(2) कोहरे, बारिश, बर्फबारी, तूफान या रेगिस्तान की हवाओं के दौरान यान को धीमी गति में चलाया जाएगा ताकि आगे दृष्यता की दूरी के दायरे में यान को रोका जा सके।
(3) एक मोटर यान को नहीं चलाया जाएगा यदि–

(क) उसकी गति चेतावनी संकेतकों पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक या कम है; और

(ख) सक्षम प्राधिकारी या यानों की उस वर्ग के लिये अधिकारियों द्वारा और उन सड़कों की वर्ग के लिये अधिसूचित अधिकतम गति सीमा से अधिक गति पर यान चलाया जाएगा।

(4) कोई भी चालक, बिना उचित और पर्याप्त कारण के बगैर, कम गति में यान नहीं चलाएगा जिसके कारण सामान्य यातायात प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।

(5) किसी निर्माण स्थल या स्कूल या अस्पताल से गुजरते समय कोई भी चालक 25 किमी प्रति घंटा से अधिक या कथित कम गति में, जिसे सड़क पर संकेतक में निर्दिष्ट किया जा सकता है, या बिना फुटपाथ की सड़क पर और सड़क के किनारे पैदल यात्रियों के चलने के मार्ग पर यान नहीं चलायेगा।

17. सुरक्षित दूरी बनाए रखना –

(1) अन्य यान के पीछे यान का चालक यातायात की अनुपातिक स्थिति के साथ अपने आगे चलने वाले यान के पीछे पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा ताकि यदि आगे चलने वाला यान अचानक धीमा हो जाता है या रूक जाता है तब वह सुरक्षित रूप से रूकने में सक्षम हो सके।
(2) जब आपके पीछे दूसरा यान चल रहा है,चालक बिना किसी अकाटय कारण के अचानक अपने यान को ब्रेक नहीं लगाएगा।
(3) वर्षा, बर्फबारी या सड़क पर किसी गंभीर तूफानी मौसम या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान, चालक आगे चलने वाले यान से थोड़ी ज्यादा दूरी बनाए रखेगा।

18. पीछे यान चलाने पर प्रतिबंध (विपरीत दिशा में) –

(1) कोई भी चालक सड़क या यान स्थान में या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर पीछे की ओर (विपरीत दिशा में) यान नहीं चलाएगाः

परंतु चालक को यान पीछे करते समय यह सुनिष्चित करना होगा कि यान को पीछे करते समय किसी भी तरीके से किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा या अनुचित असुविधा तो नहीं होगी, और इस प्रकार यान को पीछे करने की गतिविधि की दूरी और अवधि उतनी हो सकती है जो यान को घुमाने के लिये यथोचित आवश्यक होगी।

(2) सार्वजनिक सड़क पर कोई भी मोटर यान विपरीत दिषा में नहीं चलाया जाएगा।

(3) "एक तरफा रास्ते" के रूप में नामित सड़क में कोई भी मोटर यान पीछे की ओर नहीं चलाया जाएगा।

19. सम पार –

(1) रेल जनित यानों को सभी मानवरहित रेल सम पार/क्रॉसिंग पर पहले रास्ते की प्राथमिकता होगी।

(2) जब एक चालक रेल सम पार/क्रॉसिंग पर पहुंचता है उसे यान धीमा करना होगा और वह –

(क) रेल सम पार/क्रॉसिंग के भीतर यान खड़ा कर रास्ता अवरूद्ध नहीं करेगा;

(ख) एकरेल सम पार/क्रॉसिंग में परिछालन नहीं करेगा; और

(ग) सड़क मार्ग के बाईं ओर यान रखेंगे।

(3) एकसंरक्षित रेल सम पार/क्रॉसिंग पर, फाटक का बैरियर नीचे गिराने/बंद करने या बैरियर गिराना शुरू करने के बाद या यानों का यातायात लाल बत्ती सिग्नल के सामने खड़ा है कोई भी मोटर यान सम पार में प्रवेश नहीं करेगा।

(4) एक अरक्षित रेल सम पार/क्रॉसिंगपर, –

(क) मोटर यान केवल यह सुनिश्चित करने के बाद रेल सम पार/क्रॉसिंग पर प्रवेश करेगा जब उसे रेल के डिब्बे और इंजन दिखाई देना बंद हो जाता है, और

(ख) एक स्कूल बस सहित बस का चालक, एक मालवाहक यान, खेत के श्रमिकों और माल ले जाने वाली ट्रैक्टर की ट्रॉली या खतरनाक, ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री को ले जाने वाले यान, रेल सम पार/क्रॉसिंग पर पहुंचने पर रूक जाएंगे और यान के चालक अपने परिचर या किसी अन्य व्यक्ति को रेल सम पार के पास जाकर यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई इंजन या रेल के डिब्बे तो नहीं आ रहे, और परिचर या कथित अन्य व्यक्ति रेल सम पार से उस पार के बारे में चालक का मार्गदर्शन करेगाः

परंतु जहां यान पर ऐसा कोई परिचर या अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, चालक सड़क के किनारे सुरक्षित रूप से यान की बत्ती चालू करयान कोखड़ा करेगा और रेल सम पार/क्रॉसिंग को पार करने से पहले सम पार पर जाकर सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई इंजन या रेल के डिब्बे तो नहीं आ रहे हैं।

20. एक सुरंग में प्रवेश करना –

(1) किसी सुरंग में प्रवेश करने से पहले चालक यान की नीचे की रोशनी चालू करेगा।
(2) सुरंग के भीतर चालक परिछालन, पलराव या विपरीत दिशा में यान नहीं चलाएगा।
(3) कोई भी चालक सुरंग के भीतर यान को खड़ा नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से वह करना आवश्यक नहीं हो जाता और, ऐसी स्थिति में, वह यान की खतरे की चेतावनी बत्ती चालू कर देगा और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उप–नियम (4) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार यान के आगे और पीछे बीस मीटर दूरी पर परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण भी रखेगा।

21. पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले यानों को प्राथमिकता दी जाएगी –

(1) पहाड़ी और खड़ी सड़कों पर, जहां सड़क पर्याप्त रूप से चौड़ी न होने के कारण मोटर यानों को एक साथ एक दूसरे को बिना व्यवधान पहुंचाए पार करने में सक्षम नहीं करती, नीचे उतरने वाले यान का चालक–

(क) सड़क के बाईं ओर यान खडा करेगा; और

ख) पहले ऊपर की ओर आगे बढ़ने/चढ़ने वाले यान को पार करने की अनुमति देगा।

22. यान को रोकना और खड़ा/यान स्थल करना –

(1) कोई भी यान इस स्थिति में रोका नहीं जाएगा
(क) एक ऐसे स्थान पर जहां सड़क संकरी और आगे देखने का दृश्य अवरूद्ध है;
(ख) एक तीव्र मोड़ पर;
(ग) तेज या मंद लेन में;
(घ) पैदल पार पथ पर, या उससे पांच मीटर पहले;
(ङ) रेल सम पार पर;
(च) यातायात बत्ती सिग्नल से पांच मीटर या उससे कम दूरी पर या "रास्ता देने" के संकेत या "रूकने" के संकेत या यदि कोई स्थिर यान के कारण अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की दृष्यता में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है;

(छ) किसी नामित बस स्टैंड पर यदि स्कूल बस के अतिरिक्त कोई अन्य बस है;

(ज) सड़क पर पीले रंग के चिह्नित बॉक्स पर;

(प) जहां "नहीं रूकने" का अनिवार्य संकेत द्वारा यान खड़ा करना निषिद्ध किया गया है

(2) कोई यान खड़ा/पार्क नहीं किया जाएगा –

(क) जहां पर उप–विनियम (1) के अंतर्गत ऐसेस्थान पर यान रोकनानिषिद्ध है;

(ख) एक प्रमुख सड़क या सड़क के एक हिस्से में जहां पर अधिसूचित अधिकतम गति सीमा पचास किमी प्रति घंटे या उससे अधिक है;

(ग) एक पगडंडी, साइकिल ट्रैक और पैदल पार पथ पर;

(घ) एक चौराहे या जंक्शन से पहले या बाद में या चौराहे या जंक्शन के किनारे से जंक्शन के पचास मीटर की दूरी तक;

(ङ) जहां वह नामित यान स्थल के प्रवेश में अवरोध उत्पन्न करेगा;

(च) एक बस स्टॉप के निकट, एक शैक्षिक संस्थान या अस्पताल के प्रवेश द्वार पर या यदि जहांकिसी यातायात संकेतक या अग्निरोधक को अवरूद्ध करने की संभावना हो सकती है;

(छ) एक सुरंग में;

(ज) एक बस लेन में;

(झ) किसी संपत्ति के प्रवेश और निकास द्वार के सामने;

(ञ) जहां सड़क मार्ग की पगडंडी के बगल में एक निरंतर पीले रंग की रेखा लगाई या चित्रित की गई है;

(ट) पगडंडी के किनारे से दूरी पर;

(ठ) अन्य पार्क/खड़े किये यान के सामने;

(ड) यदि किसी अन्य यान को अवरूद्ध करने की संभावना या किसी अन्य व्यक्ति के लिये असुविधा का कारण है;

(ढ) पहले खड़े यान के बगल में;

(ण) निर्दिष्ट अवधि से भी अधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर जहां यान स्थल की केवल निर्धारित अवधि के लिये अनुज्ञा है;

(त) ऐसे स्थान पर जहाँ यान स्थल की अनुज्ञा निर्दिष्ट श्रेणी या यानों की श्रेणियों के लिये दी जाती है और यान निर्दिष्ट श्रेणी से संबंधित नहीं है;

(थ) समर्थांग रूप से असक्षम चालक द्वारा चलाए गये यानों की आरक्षित पार्किंग स्थल पर ऐसे चालक द्वारा यान खड़ा करना जो समर्थांग रूप से असक्षम/विकलांग नहीं है;

(द) एक विनिर्दिष्ट यान स्थल पर उल्लिखित तरीके के अतिरिक्त किसी अन्य रीति के साथ या इस तरह से यान खड़ा करना जो अत्यधिक स्थान लेता है; तथा

(ध) जहां पार्किंग "निषिद्ध यान स्थल" संकेतक द्वारा निषिद्ध किया गया है।

23. भौंपू का इस्तेमाल और षान्त क्षेत्र –

(1) भौंपू का अनावश्यक उपयोग करना निषिद्ध है।

(2) जहां तक हो सकता है, भौंपू का उपयोग तभी किया जाएगा जब चालक को स्वयं या किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता के लिए खतरा की आशंका है।

(3) चालक तब भौंपू बजाएगा जब अनिवार्य संकेतकों द्वारा निर्देशित किया गया है।

(4) चालक नहीं करेगा–

(क) लगातार या बार–बार या आवश्यकता से अधिक या आवासीय क्षेत्रों में या अनिवार्य संकेतकों में इंगित षान्त क्षेत्रों में भौंपू नहीं बजाएगा;

(ख) किसी कट आउट का उपयोग जिसके द्वारा ध्वनिमंदक के माध्यम के स्थान पर निकास गैसें निष्कासित होती हैं;

(ग) हवाई भौंपू या बहु–आवाज़ वाले भौंपू का प्रयोग करना या स्थापित करना जो कर्कष, चुभती हुई, ऊंची या खतरनाक आवाज़ करते हैं सिवाय जैसा नियम 119 के उप–नियम (3) में प्रदान किया गया है और

(घ) जिनमें अनुचित शोर या जब वह बजाए जाते हैं बहुत ही भयानक ध्वनि करते हैं।

24. संज्ञापक आदेष –

(1) वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी, यानको तकनीकी उपकरणों के सिग्नल देकर या सिग्नल डिस्क या लाल बत्ती के माध्यम से यान के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का सत्यापन करने के लिये उसे, या उसमें बैठे किसी यात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये यान को रोक सकता है, और यान के स्वामी या चालक को कथित अधिकारी के निर्देषों का पालन करना होगा।

(2) प्रत्येक चालक को आज्ञापक संकेतकों, सड़क चिह्नों और सक्षम प्राधिकारी या वरदी में पुलिस अधिकारी या उस समय ड्यूटी पर तैनात किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित सिग्नल देने के उपकरणों के माध्यम से दिये गये निर्देषों को पालन करना होगा।

(3) उस समय बावजूद किसी अन्य नियम या किसी अन्य आदेष, सड़क संकेत, चिन्ह या यातायात बत्ती सिग्नल के लागू नहीं होते हुए, और चालक का सावधानी और देखभाल करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में वरदी पहने पुलिस अधिकारी के संकेतों या निर्देशों का पालन करना होगा।

(4) चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में उस समय वरदी पहने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के मौखिक निर्देषों और संकेतों का पालन करना होगा, जिसमें रूकने या यान को पीछे करने या धीमा करने या वापस मोड़ने या किसी विनिर्दिष्ट दिशा में ले जाने या यान को यातायात की किसी पंक्ति में रखने का निर्देश शामिल है जैसा कथित पुलिस अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

25. किसी प्रदर्षन के पास से गुजरना –

(1) जब किसी प्रदर्षन के पास से गुजरते हैंजैसे किसी के संस्कार और अन्य जुलूस या सैन्य टुकड़ी या पुलिस दल द्वारा मार्च करते हुए, या जानवरों के झुंड या घोड़े की जीन या मवेशियों के पास से गुजर रहे हैं, चालक यान की गति को कम कर देगा और धीरे–धीरे सावधानी के साथ यान और प्रदर्शन के बीच पर्याप्त जगह छोड़कर पार कर जाएगा।

(2) यदि उप–विनियम (1) में वर्णित प्रदर्शन यान के आगे की सड़क पर गुजर रहा है, या वहां सेगुजरने वाला है, तब चालक यान को रोक देगा और प्रदर्शन को पहले गुजर जाने देगा और उसके वहां से गुजरने तक यान नहीं चलाएगा।

26. यातायात में रूकावट पर रोक – जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम या उसके लिये बनाए नियमों के अंतर्गत विधिमान्य अनुज्ञा नहीं दी है, कोई भी चालक नहीं करेगा –

(क) सड़क पर माल या किसी भी तरह की सेवाएं प्रदान करना; या

(ख) यान पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन।

27. आपातकालीन सेवाओं के लिए नामित यान –

(1) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के उप–नियम (4) के अंतर्गत आपातकालीन सेवाओं के लिये नामित एक यान का चालक, जिसमें एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया जाने वाला यान या अग्निशमन या कबाड़ सामान के प्रयोजनों के लिये या पुलिस यान, केवल तब बहु–ध्वनि भौंपू /भौंपू सायरन और बहु–रंग चमकने वाली बत्तीया अलार्म संचालित करेगा जब यान आपातकालीन सेवाओं पर बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दे रही है।

(2) एक आपातकालीन यान, जब उसकी बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोषनी चलती है, अन्य यानों द्वारा उसे रास्ता देने का अधिकार होगा।

(3) किसी अत्यंत आपात स्थिति जैसे एक मानव जीवन को बचाने, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की गंभीर क्षति रोकने, अपराध रोकने या आवश्यक सेवाओं को नुकसान पहुंचने या आग बुझाने के मामले में, आपातकालीन यान काचालक बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी संचालित कर अत्यंत सावधानी, जिम्मेदारी के साथ कर सकता है –

(क) यातायात लाल बत्ती को पार कर सकता है;

(ख) विनिर्दिष्ट गति सीमा से अधिक गति में यान चला सकता है;

(ग) राजमार्ग पर यानों के ठहरने के स्थान पर यान चला सकता है;

(घ) किसी भी दिशा में यहां तक कि "प्रवेष निषिद्ध" या किसी "एक–तरफा" सड़क पर यान चला सकता है।

(4) आपातकालीन यानों के अंतर्गत उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट रूप से इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी –

(ङ) सबसे पहले, अग्निशमन यान को;

(च) दूसरे, एम्बुलेंस को;

(छ) तीसरे, पुलिस यान सेवा को; तथा

(ज) चौथे, राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये किसी भी अन्य यान को आपात यान प्रबंधन यान के रूप में जैसे आवष्यक सार्वजनिक सेवाएं, पानी और बिजली की आपूर्ति या सार्वजनिक परिवहन यान।

(5) जब एक आपातकालीन यान, अपने बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोषनी चालू कर किसी यान को पिछालन करता है, या किसी अन्य यान के मार्ग में पहुंचता या प्रवेश करता है, जो व्यक्ति कथित यान चला या सवारी कर रहा है, जब तक उसे पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता तब तक वह–

(क) आपातकालीन यान से रास्ते का अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, अपने यान को बांई ओर जितना व्यवहारिक रूप से संभव हो सकता है कम से कम समय में सड़क के किनारे तक ले जाएगा;

(ख) यान को रोक देगा, यदि आवश्यक लगता है, और जब तक आपातकालीन यान वहां से निकल नहीं जाता वह उसी स्थिति में स्थिर रूका रहेगा।

(6) चालक, जब तक आपातकालीन यान के चालक दल द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता, आपातकालीन यान जिसमें बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी दोनों काम कर रही हैं उनसे कम से कम पचास मीटर की दूरी बनाए रखेगा।

(7) सड़क के रखरखाव या सार्वजनिक उपयोगिताके अनुरक्षण यानों को सड़क मार्ग पर खड़ा किया जा सकता है, यदि आवश्यकता है, खतरों की चेतावनी लाइटों को जलाकर और खड़े किये गये यान के पीछे पचास मीटर दूरी पर आवश्यक जानकारियों के साथ चेतावनी उपकरणों को स्थापित कर, और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त सावधानी बरती जानी चाहिए।

28. यान खराब होना – किसी मामले में यदि दो पहियों से अधिक पहियों वाला कोई यान ऐसे स्थान पर खराब हो जाता है जहां से उसे एक स्थिर बाधा के रूप में पहचाना जा सकता हैः–

(क) तुरन्त यान की खतरे की चेतावनी लाइटें चालू करनी होंगी;

(ख) तेज गति वाले राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर, खराब यान के पीछे पचास मीटर की दूरी पर परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएंगे;

(ग) जहां यान खड़ा है और सड़क पर आगे मोड़ है, मोड़ से पहले परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएंगे।

29. यानीय की दुर्घटना के मामले में कार्यवाही –

(1) किसी दुर्घटना के मामले में चालक पूर्ण शांत बना रहेगा और दूसरे चालक या दुर्घटना में संलग्न यान या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

(2) छोटी दुर्घटनाएं

(क) दुर्घटना में षामिल चालक या कई चालक, अपने यान से नीचे उतरकर यानों, यान में बैठी सवारियों, किसी पैदल यात्री या किसी अन्य व्यक्ति या यान के चित्र खींचेंगे, बेषक वह कोई दुर्घटना स्थल सहित मोटर यान या अन्य कुछ हो, यदि संभव है;

(ख) सभी चालक यानों को खींच कर तुरंत सड़क के बाहर निकाल ले जाएंगे ताकि आने वाले यानों के यातायात के लिये मार्ग बाधारहित/साफ हो;

(ग) चालक अन्य यान चालकों को सतर्क करने के लिये यान के निकट या उसके आसपास परावर्ती यातायात खतरों के त्रिकोण रखेंगे और उनकी खतरे की चेतावनी लाइटें जला देंगे;

(घ) यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया है चालक या सवार तुरंत पुलिस या एम्बुलेंस या निकटतम अस्पताल में फोन करेंगे;

(ङ) चालक जबतक हर किसी की संतुष्टि के लिए सब कुछ पूरा नहीं कर लिया जाता, दुर्घटना स्थल/दृष्य को छोड़कर नहीं जाएंगे भले ही दुर्घटना कितनी छोटी ही क्यों न हो।

(3) बड़ी दुर्घटनाएं–

(क) हर व्यक्ति जो दुर्घटना में शामिल होता है उसे अपने स्वयं और यान में बैठे अन्य यात्रियों और दुर्घटना में षामिल यान की जांच कर यह देखना चाहिए कि किसी को चोट तो नहीं आई है;

(ख) यदि किसी को चोट लगी है, तब तुरन्त चिकित्सा सहायता और पुलिस को बुलाएगा;

(ग) जब एक बार चालक और यात्रियों या सवार की हालत स्थिर हो जाती है, दुर्घटना में शामिल व्यक्तियों और यानों के चित्र खींचेगा जिसमें यान की रजीस्ट्रीकरण प्लेट और दुर्घटना दृश्य/स्थल के चित्र भी षामिल होंगे;

(घ) दुर्घटना में शामिल चालक यानों को जितनी जल्दी संभव हो सकता है सड़क से दूर किनारे पर स्थानांतरित कर देंगे;

(ङ) यदि यान या यानों को हटाना संभव नहीं है, दुर्घटना में शामिल प्रत्येक चालक दुर्घटना स्थल पर तब तक उपस्थित रहेंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती और दुर्घटना में घायल होने के कारण पीड़ित को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता;

(च) चालक और सवारियां दुर्घटना की जांच में पुलिस प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे;

(छ) यदि किसी दूसरे यान के साथ दुर्घटना में शामिल हैं, चालक निम्नलिखित जानकारियां दूसरे चालक के साथ आपस में अदला बदली करेंगेः नाम, पता, फोन नंबर, बीमाकंपनी, पॉलिसी नंबर, चालन अनुज्ञप्ति नंबर और यान के रजिस्ट्रीकरण नंबर।

(4) दूसरे चालक के साथ बातचीत –

(i) एक बार शुरुआती झटके से उभरने के बाद जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी को भी गंभीरता से चोट नहीं लगी है, गुस्सा भड़क सकता है और दुर्घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को गुस्से से बचना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों का गुस्सा भड़कने के कारण बचना होगा;

(ii) चालक या अन्य यात्री दूसरे चालक का नाम, पता, संपर्क की जानकारी प्राप्त करेंगे, और वह उन्हें प्रदान किये जाएंगे;

(iii) यदि आपस में सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता, तब तुरन्त पुलिस को बुलाएं;

(iv) यदि पुलिस को सूचित कर दिया गया है, दुर्घटना में शामिल उन सभी व्यक्तियों को घटनास्थल पर तब तक रहना होगा जब तक जांचकर्ता पहुंच नहीं जाते और वापस जाने की उन्हें अनुमति नहीं दे देते।

30. यान को रस्सी से खींचना –

(1) किसी भी दुपहिया मोटर यान को किसी अन्य यान द्वारा नहीं खींचा जाएगा।

(2) यान को खींचते समय अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।

(3) खींचे जाने वाले यान और खींचने वाले यान की दूरी पांच मीटर से अधिक नहीं होगी;

(4) अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को खींचने वाली रस्सियां या चेन साफदिखाई देनी चाहिए।

(5) खींचे जाने वाले यान के सामने और पीछे सफेद पृष्ठभूमि पर एक रेट्रो परावर्ती "ऑन टो" संकेतक प्रदर्शित किया जाएगा जिसके अक्षरों की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और अक्षरों के बीच 2 सेंटीमीटर फासले सहित चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी और चालक रात के समय, अंधरे में या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में यान को तब तक नहीं खींचेगा जब तक दोनों यानों की खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं ली जातीहैं:

परन्तु यदि खींचे जाने वाले यान की खतरे की चेतावनी लाइटें काम नहीं कर रही, उन्हें खींचा नहीं जाएगा जब तक उनकी खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं दी जाती।

31. यान की लाइटें –

(1) चालक सांय काल, रात को और सुबह और जब दृष्यता बहुत कम होती है निर्दिष्ट प्रकाश उपकरणों का प्रयोग करेगाः

परन्तु एक दुपहिया मोटर यान चालक दिन के दौरान भी अपनी हैडलाइट को नीचे गिराकर जलाएगा।

(2) एक यान के लाइट उपकरण हर समय अच्छे काम करने की स्थिति में रखे जाने चाहिए और किसी भी प्रकाश व्यवस्था के उपकरण को किसी वस्तु या धूल आदि से छिपाया नहीं जाएगा।

(3) कोई चालक –

(क) केवल यान स्थल रोशनी जलाकर यान नहीं चलाएगा, जब तक उसे ऐसा वरद में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता; तथा
(ख) अनुपयुक्त तरीके से या लंबी अवधि के लिये या अच्छी तरह से प्रकाशित सड़कों पर उच्च बीम का उपयोग नहीं करेगा।

(4) आनेवाले यान के निकट पहुंचने पर या जब किसी यान के पीछे बहुत निकट यान चलाते समय उच्च बीम को नीचे कर देगा।

(5) चालक कोहरे/फॉग लाइट केवल तब जलाएगा जब कोहरे, धूल, तूफान, बारिष या बर्फ गिरने के कारण दृष्यता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वह भी केवल हैड लैंप को नीचे गिरा कर।

32. ट्रैक्टर और माल ढोने वाले यान चलाना –

(1) ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठायेगा, या न ही उसे बैठने की अनुज्ञा देगा।

(2) माल ढोने वाले यान में चालक के केबिन में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराये या पुरस्कार के लिए नहीं बिठाया जाएगा।

33. लेन अलग होना (लेन के भीतर लेन) – शहरी क्षेत्रों में,चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा की सड़कों पर, जहाँ कहीं भी विशेष रूप से सड़क के संकेत द्वारा अनुमति दी जाती है, मोटर साइकिल चालक तीन और चार पहियों के यानों के बीच में धीरे धीरे से आगे निकल सकते हैं जब मोटर साइकिल और अन्य यानों के बीच की गति का अंतर पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है।

34. खतरनाक पदार्थों की ढुलाई पर प्रतिबंध – किसी भी सार्वजनिक सेवा के यान का कोई चालक किसी प्रकार का विस्फोटक या अत्याधिक ज्वलनषील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ अपने साथ, या किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा सिवाय ईंधन और स्नेहको को छोड़कर जो यान चलाने के लिये आवश्यक हैं।

35. भार यान के बाहर भार उठा होना/निकलना –

(1) चालक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि भार नियंत्रित करने और लादने के उपकरण सहित भार को यान पर सही तरीके से इस प्रकार से व्यवस्थित/रखा और नियंत्रित किया गया है कि किसी अकस्मात आपात स्थिति में ब्रेक लगाने या अचानक झटके के साथ यान के मुड़ने पर माल फिसलकर, गिरकर, घुमकर यान से न गिरे या अनावष्यक शोर उत्पन्न न करे।

(2) कोई भी चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे मोटर यान को चलाएगा जिस पर इस तरीके से माल लदा हुआ है कि जिसके कारण किसी व्यक्ति को खतरा पैदा होने की संभावना हो सकती है।

(3) भार या उसकेकिसी भाग के लिए, या यान में कोई अन्य वस्तु उसके ढांचे के बगल या आगे या पीछे बाहर की ओर नहीं निकलेगी, या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट ऊंचाई या भार की सीमा से अधिक नहीं होगी।

36. रजिस्ट्रीकरण प्लेट –

(1) सार्वजनिक सड़क पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विर्निदिष्ट रजिस्ट्रीकृत प्लेट प्रदर्षित किये बिना कोई भी यान चलाया या खड़ा नहीं किया जाएगा।

(2) यान के आगे और पीछे पंजीकृत प्लेटें स्पष्ट रूप से दृश्य और सुपाठय होंगी और इन रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर कोई भी वस्तु या धूल/गंदगी उसकी स्पष्ट दृश्यता में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को छोड़कर कोई अक्षर, शब्द, आकृति, चित्र या प्रतीक प्रदर्शित या गढ़े या लिखे नहीं जाएंगे।

(4) मोटर यान पर कोई भार या अन्य वस्तुओं को इस तरह से नहीं रखा जाएगा जिससे पूरी तरह या आंशिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्लेटें छिप जाएं।

37. मोबाइल टेलीफोन और संचार युक्तियों का उपयोग –

(1) चालक हाथ में पकड़े जाने वाले मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगा।
(2) कोई प्रषिक्षक या पर्यवेक्षक नौसीखिया चालक को प्रषिक्षण या प्रर्यवेक्षण करते समय मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

38. दस्तावेज़ों का प्रस्तुतिकरण –

(1) एक परिवहन यान का चालक हमेशा अपने साथ मूल रूप में निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा, सिवाय उन दस्तावेज़ों को छोड़कर जिन्हें प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा जब्त किया हो सकता है, अर्थातः–

(क) चालन अनुज्ञप्ति;
(ख) कराधान प्रमाण पत्र;
(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;
(घ) बीमा प्रमाण पत्र;
(ङ) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र; और
(च) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र;

(2) खतरनाक या असुरक्षित माल परिवहन करने वाले यानों के चालक अपने साथ केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियमों 132 और 133 में निर्दिष्ट दस्तावेज रखेंगे।

(3) गैर–परिवहन यान के चालकअपने साथ हमेशा रखेंगे –

(क) चालन अनुज्ञप्ति और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र; और
(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाणपत्र या उसकी प्रतिलिपि।

(4) यान का चालक, वरद में पुलिस अधिकारी, मोटर यान विभाग के अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग करने पर, निरीक्षण के लिये अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगाः

परंतु एक चालक, यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज पहले से ही प्रस्तुत कर चुका है या किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या उसके निहित बनाए नियमों के अधीन जब्त किया गया है या किसी अन्य लागू अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, कथित दस्तावेज़ के बदले, कथित अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा उस संबंध मेएक रसीद या अन्य पावती जारी की जाएगीः

परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र या उप–विनियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट बीमा प्रमाण पत्र चालक के पास उपलब्ध नहीं है, यान का स्वामी या चालक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कथित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे, जिसके

द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, यदि प्राधिकरण द्वारा वह आवश्यक है।

39. पैदल यात्री पार पथ, फुटपाथ और साइकिल पगडंडी –

(1) एक अनियंत्रित पैदल पार पथ से गुजरते समय, चालक यान धीमा कर देगा, रूक जाएगा और पैदल, असक्षम सड़क उपयोगकर्ताओं को ले जाने वाली गाड़ी, और व्हीलचेयर को रास्ता देना होगा।

(2) यदि यातायात में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, और यदि आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है जिसके कारण पैदल पार पथ में अवरोध उत्पन्न हो सकता है तब चालक पैदल पार पथ पर आगे यान नहीं चलाएगा।

(3) जब कोई भी सड़क फुटपाथ या साईकिल पगडंडी के साथ प्रदान की जाती है, कोई भी यान ऐसे फुटपाथ या पगडंडी पर नहीं चलाया जाएगा, सिवाय वर्दी में एक पुलिस अधिकारी के निर्देष पर या जहां यातायात संकेत में उस पर चलाने की अनुज्ञा प्रदर्शित की गई है।

40. सड़क के संकेत, चिह्न, यातायात नियंत्रण सिग्नल, अधिनियम और नियमों का ज्ञान और समझ–प्रत्येक चालक निम्नलिखित के साथ परिचित होगा और उसका पर्याप्त ज्ञान और समझ होगी, अर्थात् –

(क) सड़क संकेतों, चिह्नों और यातायात नियंत्रण सिग्नलों;
(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988, की निम्नलिखित धाराओं के प्रावधानों के साथ, अर्थात्
(i) धारा 19: अयोग्यता या चालन अनुज्ञप्ति लाइसेंस रद्द करने के लिये आधार;
(ii) धारा 112: गति की सीमा;
(iii) धारा 113: वजन की सीमा और उपयोग की सीमाएं
(iv) धारा 121: सिग्नल और सिग्नलों के उपकरण;
(v) धारा 122: खतरनाक स्थिति में यान छोड़ना
(vi) धारा 125: चालक को अवरोध
(vii) धारा 132: कुछ मामलों में रोकने के लिये एक चालक के कर्तव्य;
(viii) धारा 133: मोटर यान के मालिक के जानकारी देने के कर्तव्य;
(ix) धारा 134: दुर्घटना और किसी व्यक्ति को चोट लगने पर मोटर यान के चालक के कर्तव्य;
(x) धारा 185: एक मत्त व्यक्ति द्वारा या नाषीली दवाओं के प्रभाव में ड्राइविंग करना;
(xi) धारा 186: जब मानसिक या शारीरिक रूप से यान चलाने में अयोग्य हैं;
(xii) धारा 187: दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड;
(xiii) धारा 194: स्वीकार्य भार से अधिक सीमा में भार लादकर यान चलाना;
(xiv) धारा 200: कतिपय अपराधों की संरचना;तथा
(xv) धारा 207: बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या परमिट के यानों को हिरासत में रखने की शक्ति;
(ग) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के उपाबंध
(i) नियम 21: अधिनियम जो अवरोध या जनता को खतरा उत्पन्न करता है उसके लिये एक व्यक्ति को चालन अनुज्ञप्ति रखने के लिये अयोग्य ठहराता है;
(ii) नियम 133: चालक की जिम्मेदारियां;
(iii) नियम 136: चालक दुर्घटना के बारे में पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा;

(घ) अच्छे आदमियों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग सं0. 25035/101/2014–आरएस, तारीख 21 जनवरी, 2016 में प्रकाशित भारत का राजपत्र, असाधारण भाग–I, धारा 1 सरकार की अधिसूचना के उपाबंध।

[सं. आर टी–11028/13/2016–एमवीएल]
अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2017

G.S.R.634(E).— In exercise of the powers conferred by section 118 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the Rules of the Road Regulations, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following regulations for the driving of motor vehicles, namely:-

1. Short title, extent and commencement. – (1) These regulations may be called the Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) "carriageway" means the part or parts of a road normally used by vehicular traffic, whether separated from one another by a dividing strip or a difference of level or not;

(c) "construction zone" means a section of the roadway where the construction activity is in progress or declared to be undertaken and which may comprise of work space, traffic space or buffer space;

(d) "heavy vehicle" means a heavy goods vehicle or heavy passenger motor vehicle as defined in clauses (16) and (17), respectively, of section 2 of the Act;

(e) "intersection" means any level crossroad, junction or fork, including the open areas formed by such crossroads, junctions or forks;

(f) "longitudinal marking" means the road marking which is provided along the movement of traffic on carriageway;

(g) "major district roads" means the important roads within a district of a State notified as such by the State Government;

(h) "major road" means the highway, road or street designated as such by any highway authority or local authority within its jurisdiction;

(i) "national highways" means the highways specified in the Schedule to the National Highways Act, 1956 or any other highway declared as national highway under sub-section (2) of section 2 of the said Act;

(j) "parking" means the bringing of a vehicle to a stationary position and causing it to wait for any purpose other than that of immediately taking up or setting down persons, goods or luggage, and includes stopping for more than three minutes;

(k) "rider" or "passenger" means a person travelling on a motor vehicle otherwise than as a driver of that vehicle, whether for hire or reward or otherwise;

(l) "right of way" means the right of a vehicle or any other road user to proceed in a lawful manner in preference to another vehicle or any other road user approaching under such circumstances of direction, speed and proximity as to give rise to danger or collision unless one grants precedence to one over the other;

(m) "road" includes bridges, tunnels, lay-bys, ferry facilities, interchanges, roundabouts, traffic islands, road dividers, all traffic lanes, acceleration lanes, deceleration lanes, median strips, overpasses, underpasses, approaches, entrance and exit ramps, toll plazas, and a road under construction, but does not include any private road;

(n) "road marking" means the lines, patterns, words except road signs which are applied or attached to the carriageway or kerbs or to objects within or adjacent to the carriageway for controlling, warning, guiding and informing the road users;

(o) "road user" includes a person driving or travelling on the road in a vehicle or otherwise and a pedestrian;

(p) "silence zone" means an area or locality notified by the competent authority where the use of sound signal is prohibited;

(q) "state highways" means the arterial roads of a State notified as such by the State Government;

(r) "stopping" means halting a vehicle for a very short duration out of free will, either to allow

passengers to board or alight or for quick loading or unloading of goods;

(s) "traffic" includes vehicles of every description and other carriages and conveyances, pedestrians, processions, ridden or herded animals, and all other forms of road traffic using any road or highway for the purpose of travel;

(t) "traffic island" means a physical provision and road markings marked on a carriageway, at or near an intersection to regulate the vehicular traffic;

(u) "traversed marking" means the road marking which is provided across the carriageway.

(1) Any words or expressions used in these regulations, but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Duty towards other road users and the general public.- No vehicle shall be driven, stopped or parked on a road or in a public place in such a manner as is likely to endanger the safety of, or cause inconvenience to, other road users.

4. Use of roads by vehicles. – (1) Every vehicle or combination of vehicles, while moving on a road, shall have a driver.

(2) A motor vehicle shall be driven on the carriageway:

Provided that on dual carriageways, the vehicle shall be driven on the left carriageway unless otherwise directed by the police officer in uniform for the time being on the duty or by appropriate road signs.

(3) Unless road signs or markings indicate otherwise, the driver shall keep the vehicle as far as possible to the left of the carriageway, and shall allow all traffic, which is proceeding in the opposite direction, to pass on his right side.

(4) The driver shall keep the vehicle to the left while being overtaken and when approaching a bend or a hill and when his view ahead is restricted.

(5) A heavy vehicle or speed restricted vehicle shall be driven in the left lane on a carriageway with several lanes in one direction, except when overtaking an obstruction or a slower moving vehicle:

Provided that the driver shall return to the left lane as soon as he is safely past the obstruction or the slower moving vehicle, as the case may be.

(6) A vehicle shall not be driven on a road declared "One Way", except in the direction specified by the signage.

(7) No driver shall pull, push or drive a vehicle against the flow of traffic, except when specifically directed to do so either through a traffic sign erected by an appropriate authority or by a police officer in uniform for the time being on duty.

(8) The driver shall keep at a safe distance from a reversing vehicle and not move toward it before the reversing vehicle has completed its backward motion.

5. Duties of drivers and riders.- (1) Every driver shall at all times drive the vehicle with due care and caution.

(2) The driver shall ensure that at the time of driving a vehicle, he is in full control of his physical and mental abilities and physically and mentally fully fit to drive a vehicle.

(3) The driver shall at all times maintain a good lookout and concentrate on the road and the traffic and avoid any activity which distracts, or is likely to distract, his attention.

(4) The driver and the riders shall take special care and precautions to ensure the safety of the most vulnerable road users such as pedestrians, cyclists, children, the elderly and the differently abled persons.

(5) The driver shall ensure that his vehicle, while moving or when stationary, does not cause any hindrance or undue inconvenience to other road users or to the occupants of any properties.

(6) The driver shall ensure that his view is not obstructed and his hearing is not impaired by passengers, animals, the load, equipment in the vehicle or by the condition of the vehicle.

(7) The driver shall ensure that he and the other occupants of the vehicle wears seat belts, if provided in the vehicle.

(8) The driver shall ensure that a child up to twelve years of age is seated in an appropriate child restraint system, wherever provided.

(9) Wherever provided by or under the law, the rider of a motor cycle, with or without a side car, and the pillion-rider and occupant of the side car shall wear protective head gear (helmet) or such other safety device as specified under any law for the time being in force.

(10) The driver shall ensure that loud music is not played in the vehicle.

(11) The driver shall not watch digital motion pictures or videos while driving, except

where required for route navigation:

Provided that the driver shall use a device for route navigation in such a manner as not to distract his attention from driving.

(12) The driver shall strictly comply with the laws for the time being in force relating to prohibition on consumption of alcohol and drugs and smoking, and also ensure compliance thereto by the other crew, riders and passengers, if any.

(13) The driver shall take care of himself and the passengers of the vehicle, when getting into or out of a vehicle so as to ensure his own safety and the safety of the other staff, the passengers and other road users.

(14) The driver shall not, in any public place, drive a vehicle which, to his knowledge, has a defect, or which he could have discovered by exercising ordinary care, and on account of which defect the driving of the vehicle is likely to cause undue danger to the safety of the occupants of the vehicles or other road users.

(15) If a technical defect is discovered in a vehicle while it is being driven, the driver shall take the vehicle off the road in the quickest possible manner:

Provided that powered two wheelers may be pushed to safety in a situation of discovery of a technical defect during driving.

(16) While riding or driving a motor cycle or a three wheeler, the driver or the rider shall not hold on to or push any other vehicle.

(17) The driver of a motor cycle or a three wheeler shall at all times hold the handle bar with both hands except when signalling the manoeuvre as specified in regulation 9.

(18) The driver may take his feet off the pedals or foot rests only if the road conditions so require or safely permit.

6. Lane traffic.- (1) Where any road is marked by lanes for movement of traffic, the driver shall drive within the lane, and change lanes only after giving a proper signal or road marking or signage.

(2) Where any lane is marked specially for a class of vehicles, a vehicle of that class shall drive in that lane only.

(3) Where a lane has been marked for a specified class of vehicles or for a special purpose, no other vehicle of any other class shall be driven in that lane.

(4) Where a road is divided by a longitudinal yellow or white solid line, the driver, proceeding in the same direction and trying to overtake another vehicle ahead, shall not cross the said yellow or white solid line.

(5) While approaching inter-sections, where turning lanes are marked with a single solid line, the driver shall ensure that the vehicle remains in the lane meant for the direction of manoeuvre.

(6) The driver shall not drive on or over a single or double longitudinal solid line, or on a painted traffic island except in case of obstructions on the road.

(7) On a road having a single broken line along with a solid line, the driver of the vehicle driving on the left of broken line may cross the broken line in order to overtake, but shall return to his lane after completing the manoeuvre, observing the safety precautions specified in regulation 12.

7. Right of way.- (1) Where a "STOP" sign is displayed on a road, the driver facing the sign shall-

(a) stop before crossing the transverse "STOP" line preceding the "STOP" sign;

(b) in case a "STOP" line is not marked, or is marked but is not visible, stop immediately before "STOP" sign;

(c) give way to traffic on the major road; and

(d) enter the major road only when the way ahead is clear.

(2) Where a "Give Way" sign is displayed on the road, supplemented by a single or double broken transverse "Give Way" road marking, the driver shall slowdown, give way to traffic on the road he is approaching, and proceed cautiously.

(3) If there is no pedestrian crossing marked before the "Give Way" sign or "STOP" sign, the driver shall give way to the pedestrians.

(4) the vehicle emerging onto a road from a property bordering thereon shall give way to the motor vehicles and other traffic already running on that road.

8. Left, right and 'U'turns.- The driver shall plan well in advance of a turn, move to the appropriate lane of the road and give signal for the intended turn in the following manner, namely:-

(1) **Taking a left turn,-**

(a) a driver who wishes to turn left shall clearly and in good time indicate his intention to turn left either by using direction indicator or giving appropriate hand signal;

(b) before turning left, the driver shall, in reasonable time, move to the left most lane or use a slip lane, where provided;

(c) while driving on a multi-lane road, where direction arrows pointing to the left are marked on the road, the driver shall use that lane while taking a left turn;

(d) before moving into the left lane, the driver shall keep in view the traffic to his left and behind him, and change the lane only after giving a left-turn signal;

(e) before turning left, the driver shall give way to cyclists and other slow-moving traffic;

(f) at uncontrolled pedestrian crossings, the driver shall give way to the pedestrians before turning left;

(g) a vehicle, which is unable to negotiate a left turn due to large turning radius required for the vehicle from the extreme left lane, may use the next lane with the driver keeping a watch on the traffic on the left of the vehicle in the rear view mirror and exercising extreme caution while negotiating the turn.

(2) **Taking a right turn,-**

(a) the driver who wishes to turn right shall clearly and in good time indicate his intention to turn right by using either the direction indicator or by giving a hand signal;

(b) before turning right, the driver shall in good time move to the right most lane;

(c) while driving on a multi-lane road, where direction arrows pointing to the right are marked on the road, the driver shall remain in that lane while taking right turn;

(d) before moving into the right lane, the driver shall keep in mind the traffic on his right and behind him, and change the lane only after giving a right-turn signal;

(e) at uncontrolled pedestrian crossings, the driver shall give way to pedestrians.

(3) **Taking a 'U' turn.-**

(a) a vehicle shall not make a 'U' turn -

(i) where such 'U' turn is prohibited by a road sign or a traffic signal;

(ii) on a busy road with continuous flow of traffic;

(iii) on a major road, highway or expressway; and

(iv) across a continuous single or a double solid line;

(b) the driver shall not take a 'U' turn if there are any blind spots around the vehicle and shall start taking a 'U' turn only if it is safe to take a 'U' turn, after closely observing the traffic in the opposite direction and observing the traffic on the sides and behind the vehicle in the side view mirrors and rear view mirror;

(c) the driver shall negotiate the right turn only after giving way to the other road users who have the right of way, including pedestrians and cyclists;

(d) the driver shall ensure that he has a clear view of approaching traffic and shall not cause undue inconvenience to the other road users and also ensure safety of other road users;

(e) a large vehicle may take the 'U' turn from the left lane only where permitted.

9. Precautions to be taken at intersections.- (1) The vehicle shall invariably slow down when approaching a road intersection, a road junction, a pedestrian crossing or a road corner, and shall not enter any such intersection, junction or

crossing if it is likely to endanger the safety of other road users moving onto, or already on, such intersection, road junction, pedestrian crossing or road corner.

(2) At intersections and junctions, vehicles approaching from the right side shall have the right of way:

Provided that this sub-regulation shall not apply,-

(a) when the junction or intersection is being regulated by manual signals by anauthorised person, traffic lights or mandatory traffic signs; or

(b) when the vehicle is exiting a minor road and entering a major road.

(3) A motor vehicle shall not enter an intersection if the traffic on the intersection has come to a standstill even if it is on the main road or has a signal to proceed.

10. Precautions to be taken at roundabouts.- (1) While entering a roundabout, traffic already in the roundabout shall have the right of way.

(2) A motor vehicle approaching a roundabout shall choose the lane relevant to the direction of its further movement.

(3) The driver shall use indicators when changing lanes within the roundabout.

(4) While exiting the roundabout, the driver shall follow the procedure specified in sub-regulation (2) of regulation (6) for taking a left turn.

11. Indication of signals.- (1) The driver shall clearly indicate his intention to change course, turn left or right and before making any manoeuvre, using mechanical or electrical devices fitted in the vehicle or by hand signals.

(2) In case a mechanical or electrical device in not fitted in the vehicle for giving signals or, the said device is provided but not functioning, the driver shall give manual signals as specified below-

(i) to stop, a driver shall raise his right forearm vertically outside of, and to the right of, the vehicle, palm to the right;

(ii) to turn to the right or to drive to the right-hand side of the road in order to pass another vehicle or for any other reason, the driver shall extend his right arm in a horizontal position outside of, and to the right of, his vehicle with the palm of the hand turned to the front;

(iii) to turn to the left or to drive to the left-hand side of the road, the driver shall extend his right arm and rotate it in an anti-clockwise direction;

(iv) to indicate to the driver of a vehicle behind him that the latter may overtake, the driver shall extend his right arm and hand horizontally outside of, and to the rightof, the vehicle and shall swing the arm backward and forward in a semi-circular motion.

12. Traffic control signals.- While approaching a traffic control signal, the vehicle shall slow down and follow the directions given by the traffic control signals in the following manner, namely:-

(1) ***Red traffic light, -***

(a) a motor vehicle facing the red light of a traffic control signal at an intersection or at a place other than an intersection, shall stop the vehicle before the stop line preceding the pedestrian crossing;

(b) if the stop line is not marked or, if marked is not visible, the vehicle shall stop before the pedestrian crossing;

(c) if there is no marked pedestrian crossing, the vehicle shall stop before the primary traffic signal;

(d) the vehicle shall move with caution after the green traffic signal turns on;

(e) when, at an intersection or at a place other than an intersection, rapid intermittent flashes of red light are displayed by a traffic control signal, the vehicle facing the signal shall,-

(i) stop before the stop line preceding the pedestrian crossing;

(ii) stop before the pedestrian crossing if the stop line is not marked or, if marked is not visible;

(iii) stop before the primary traffic signal at the intersection if there is no marked pedestrian crossing;

(iv) drive past the signal or across the pedestrian crossingafter giving the right of way to the pedestrians and the vehicles running at the major road;

(f) notwithstanding anything contained in clauses (a) to (d), a motor vehicle may take a left turn and proceed further after giving way to the traffic approaching the intersection from its right side and to the pedestrians and cyclists crossing the intersection on its left side unless a traffic control device or a road sign prohibits a left turn whenthe red light is on.

(2) ***Green traffic light, -***

(a) when, at an intersection or at a place other than an intersection, a green light is on at a traffic control signal, a motor vehicle facing the green light shall,-

(i) drive the vehicle into the intersection or pedestrian crossing only if the way ahead is clear;

(ii) move only in the direction indicated by the green directional arrow in case a green directional arrow signal is also displayed by a traffic control signal;

(iii) give way to any pedestrian, who is within the intersection or at an adjacent pedestrian crossing, and to any other vehicle which is within the intersection at the time when the green light turns on;

(b) when, at an intersection, rapid intermittent flashes of green arrow signal are displayed by a traffic control signal, a motor vehicle facing the flashes of the green arrow signal shall turn only in the direction of the arrow after giving the right of way to pedestrians, cyclists and the vehicles merging in the path which the driver is approaching.

(3) ***Amber traffic light, -***

(a) when, at an intersection or at a place other than an intersection, an amber light is on at a traffic control signal, the vehicle facing the amber light shall stop before the stop line preceding the pedestrian crossing;

(b) if a stop line is not marked or, if marked is not visible, the vehicle shall stop before the pedestrian crossing:

Provided that if there is no marked pedestrian crossing, the vehicle shall stop before the primary traffic light signal unless it has either crossed the stop line or is so close to the stop line that abrupt stopping may result in a collision with the following vehicle;

(c) a motor vehicle facing rapid intermittent flashes of amber light from a traffic control signal at an intersection or at a place other than an intersection shall slow down and may drive into the intersection or pedestrian crossing with caution after giving way to the pedestrians and vehicles which are already within the intersection.

13. Manual traffic control. – (1)Where a police officer in uniform or any other authorised person is regulating the traffic at an intersection or at a place other than an intersection, the driver shall slowdown the vehicle and follow the directions of the said officer or person.

(2) When a “STOP” signal is shown by the police officer in uniform or any other authorised person, the driver shall stop the vehicle before the stop line preceding the pedestrian crossing.

(3) In case the stop line is not marked or, if marked is not visible, the driver shall stop the vehicle before the pedestrian crossing.

(4) In case there is no marked pedestrian crossing, the driver shall stop the vehicle before the approaching road at the junction.

(5) When a vehicle has stopped in compliance to a “STOP” signal given by the police officer in uniform or any other authorized person, it shall not move further until a signal to proceed is given by the said officer or person.

14. Overtaking.- (1) A motor vehicle shall not overtake any other road user unless it is safe and not in violation of the provisions of the Act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force.

(2) A vehicle shall be overtaken only from the right side:

Provided that a vehicle may be overtaken from the left, if-

(a) the vehicle which is to overtake and the vehicle which is to be overtaken are both driving on a multi-lane road and the vehicle ahead can be safely overtaken in a marked lane to the left of the vehicle being overtaken;

(b) the vehicle to be overtaken is either turning right or making a 'U' turn from the centre of the road and is giving a signal to turn and it would be safe to overtake it from the left; or

(c) the vehicle to be overtaken is stationary and it is safe to pass it from the left.

(3) No vehicle shall be overtaken if such overtaking is likely to impede the oncoming traffic.

(4) While overtaking, the vehicle shall be driven at a speed higher than that of the vehicle to be overtaken, but the speed shall not exceed maximum speed limit specified by or under the Act or the rules made thereunder.

(5) No vehicle shall overtake-

(a) if the traffic situation is not clear;

(b) if prohibited by any mandatory traffic signs;

(c) by crossing the continuous single or double solid longitudinal lane marking dividing the road;

(d) on a bend or corner or at any obstruction of any kind resulting in the road ahead not being clearly visible;

(e) at junctions, intersections and pedestrian crossings;

(f) at a transit location where the road narrows or where lanes on the carriage way are reduced in width;

(g) on a narrow culvert; or

(h) on a road where 'School Zone' or 'Hospital Zone' or 'Construction Zone' is indicated by road signs.

(6) The driver shall use the direction indicators to show his intention to overtake and, after manoeuvring the overtaking, return to the left side of the road as quickly as possible.

(7) No driver shall give a right turn indicator to signal permission to the following vehicle to overtake him.

(8) Outside built up areas, the driver shall signal his intention to overtake the vehicle ahead of him by blowing the horn for a very short duration or by headlight flasher signal and may overtake the vehicle after getting a signal for overtaking from the driver in front or if the way ahead is clear.

(9) If a vehicle is overtaking another vehicle, the driver of the vehicle being overtaken shall not increase its speed or impede the overtaking vehicle's safe return to the left lane.

15. Merging in traffic.- (1) A motor vehicle entering a national highway or a state highway or a major district road shall give way to traffic on the highway or the major district road, as the case may be.

(2) At an intersection of two roads of same category, the driver of the motor vehicle on the right shall have the right of way.

(3) Wherever applicable, the driver shall use the acceleration for merging lane to build up speed of the vehicle before merging it in the traffic on the highway or on the major district road.

(4) Before and while merging in the traffic, the driver shall keep a close watch on the traffic through rear view mirror and side-view mirrors and signal his intention to merge.

(5) The driver shall not attempt to overtake a vehicle or vehicles ahead of him unless he has stayed long enough in the left-hand lane or the lane in which he had been driving.

16. Speed.- (1) A driver shall drive only at a speed which allows him control of the vehicle at all times, taking into account the driving conditions, including to the condition of the vehicle and its load, the road, other traffic, visibility and weather.

(2) The vehicle shall, during fog, rainfall, snowfall, storm or desert winds, be driven at a lower speed to enable the driver to stop the vehicle within the range of forward vision.

(3) A motor vehicle shall not be driven-

i. at a speed exceeding or less than the maximum or minimum speed limit specified on the signages; and

ii. at a speed exceeding the maximum speed limit notified by the competent authority or authorities for that class of vehicles and for the class of roads on which it is for the time being driven.

(4) No driver shall, without good and sufficient reason, drive so slowly as to impede the normal traffic flow.

(5) No driver shall drive at a speed exceeding twenty-five kilometre per hour or such lower speed as may be specified on the road signage while passing by a construction site or a school or a hospital, wherever indicated by signage, or on roads without footpaths and soft shoulders where pedestrians use a part of the carriageway to walk.

17. Keeping safe distance.- (1)A driver driving behind another vehicle shall keep sufficient distance, commensurate with the traffic conditions, from the vehicle ahead, so as to be able to stop (pull up) safely if the vehicle ahead suddenly slows down or stops.

(2) When being followed by another vehicle, not suddenly brake without a compelling reason.

(3)The driver shall during rainfall, snow or storm orice on the road due to severe weather conditions and during other adverse weather conditions, further increase the distance from the vehicle ahead.

18. Restrictions on driving backwards (in reverse direction).- (1) No driver of a motor vehicle shall drive the vehicle backwards (in the reverse direction) on a road or in a parking or any other public place:

Provided that the driver shall while driving backwards ensure that the backward movement of the vehicle does not in any manner endanger the safety of, or cause undue inconvenience to, the other road users and that such reverse movement is for a distance and duration that may be reasonably necessary to turn around the vehicle.

(2) No motor vehicle shall be driven on to a public road in the reverse direction.

(3) No motor vehicle shall be driven backwards into a road designated as "ONE WAY".

19. Level crossings.- (1) Rail-borne vehicles shall have over-riding priority at all unmanned level crossings.

(2) A driver shall slow down when approaching a railway crossing and shall-

i. not park the vehicle within the barriers of a railway crossing;

ii. not overtake within the barriers of a railway crossing; and

iii. keep to the left of the roadway.

(3) At a guarded railway crossing, no motor vehicle shall enter the crossing after the gates or barriers have been closed or have started to close or when the vehicular traffic is facing red light signal.

(4) At an unguarded railway crossing,-

(a) a motor vehicle shall enter the crossing only after ensuring that no rolling stock is in sight; and,

(b) the driver of a bus, including a school bus, a goods vehicle, a tractor trolley carrying farm labour or goods and a vehicle carrying hazardous, flammable or dangerous materials, shall stop at the approach of the railway crossing and the driver of the vehicle shall cause the attendant or any other person in the vehicle to walk up to the level crossing to ensure that no rolling stock is approaching from either side, and the attendant or such other person shall guide the driver across such level crossing:

Provided that where no such attendant or other person is available in the vehicle, the driver of the vehicle shall safely stop the vehicle on the roadside, a light from the vehicle and walk up to the crossing to see and ensure that no rolling stock is approaching from either side before starting to cross the level crossing.

20. Entering a tunnel.- (1) The driver shall switch on the dipped lights before entering a tunnel.

(2) No driver shall overtake, make a U-Turn or drive backwards inside a tunnel.

(3) No driver shall stop or park the vehicle within a tunnel unless absolutely unavoidable and, in such situation, switch on the hazard warning lights of the vehicle and also place reflective traffic warning triangles as specified in clause (c) of sub-rule (4) of rule 138 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, at a distance of twenty meters each from the vehicle in the front of, and behind, the vehicle.

21. Vehicles going uphill to be given precedence.- (1) On mountain roads and steep roads, where the road is not sufficiently wide to allow the motor vehicles to cross each other freely, the driver travelling downhill shall-

i. stop the vehicle on the left side of the road; and

ii. allow the vehicle proceeding uphill to pass first.

22. Stopping and parking.- (1) A vehicle shall not be stopped-

i. at a place where the road is narrow or the view is obstructed;

ii. near or on a sharp bend;

iii. in an acceleration or a deceleration lane;

iv. on, or five meters before, a pedestrian crossing;

v. on a level crossing;

vi. five meters or less before a traffic light signal or “Give Way” sign or “STOP” sign or if a stationary vehicle is likely to obstruct these signs from the view of other road users;

vii. at designated bus stands if the vehicle is other than a bus;

viii. on a yellow box marked on road; and

ix. where prohibited by a mandatory “No Stopping” sign.

(2) A vehicle shall not be parked-

(a) at a place where stopping a vehicle is prohibited under sub-regulation (1);
(b) on a main road or at a stretch of a road where the notified maximum speed limit is fifty kilometres per hour or more;
(c) on a footpath, cycle track and pedestrian crossing;
(d) before or after an intersection or a junction up to a distance of fifty meters from the edge of the intersection or junction;
(e) where it would block access to designated parking spaces;
(f) near a bus stop, at the entrance to an educational institution or a hospital or if it is likely to block a traffic sign or a fire hydrant;
(g) in a tunnel;
(h) in a bus lane;
(i) in front of the entrance or exit of a property;
(j) where there is a continuous yellow line installed or painted on the carriageway on the kerb side;
(k) away from the edge of the footpath;
(l) opposite another parked vehicle;
(m) if it is likely obstruct any other vehicle or cause inconvenience to any person;
(n) alongside another parked vehicle;
(o) beyond the specified durationat a place where parking is permitted for a specified duration only;
(p) in a place where parking is permitted for a specified category or categories of vehicles and the vehicle does not belong to the specified category;
(q) by a driver who is not differently abled in a parking space reserved for vehicles driven by differently abled drivers;
(r) in a manner other than that specified in the parking bays in a designated parking lot or in such a manner as to occupy excessive space; and
(s) where parking is prohibited by a “No Parking” sign.

23. Use of horns and silence zones.- (1) Unnecessary use of horn is prohibited.

(2) As far as may be, the horn shall be sounded only when the driver apprehends danger to himself or to any other road user.

(3) The driver shall sound the horn when directed by the mandatory sign.

(4) The driver shall not-

(a) sound the horn continuously or repeatedly or for a duration longer than necessary or in a residential areas or in a silence zone indicated by a mandatory sign;

(b) make use of a cut-out by which exhaust gases are released other than through the silencer;

(c) fit or use an air horn or a multi-toned horn giving a harsh, shrill, loud or alarming noise except as provided in sub-rule (3) of rule 119 of the Central Motor Vehicles Rules,1989; and

(d) drive a vehicle which creates undue noise or causes an alarming sound when in motion.

24. Mandatory orders.- (1) A police officer in uniform or an authorised officer of the State Government, may stop a motor vehicle by giving a signal by means of technical device on the vehicle or a signalling disc or a red light for verifying the certificate of fitness of the vehicle or for collecting required information in respect of the vehicle or the driver or other occupants the vehicle, and the vehicle owner or driver shall comply with the instructions given by such officer.

(2) Every driver shall obey the directions given by mandatory signages, road markings and signalling devices operated by an authority competent to do so or by a police officer in uniform or by an authorised person for the time being on duty.

(3) Notwithstanding any other rule for the time being in force or any order, road sign, marking or traffic light signal, and without prejudice to the duty of the driver to exercise due care and caution, the driver shall obey the signals or instructions of a police officer on duty in uniform in regard to movement of the vehicle.

(4) The driver shall obey the verbal directions or signals of a police officer for the time being on duty with regard to movement of the vehicle, including the directions to stop or reverse the vehicle or to slow down or to turn back or to move in the specified direction or to keep in such line of traffic as may be specified by the said police officer.

25. Passing along formations.- (1) While passing along formations such as funeral and other procession or a body of troops or police contingent on the march, or pack or saddle of animals or cattle, the driver shall reduce the speed of the vehicle, and pass by the formation slowly and cautiously, leaving adequate space between the formation and the vehicle.

(2) If the formation as described in sub-regulation (1) is crossing, or is about to cross, the road in front of the vehicle, the driver shall stop the vehicle and allow the formation to cross the road and not drive through the formation.

26. Bar on traffic impairment.- Unless validly permitted by the competent authority under the Act or the rules made thereunder, no driver shall -

i. offer goods or services of any kind on the road; or

ii. display any advertisement on the vehicle.

27. Vehicles designated for emergency duties.- (1) The driver of a vehicle designated by the State Government for emergency services under sub-rule (4) of rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 including a vehicle used as ambulance or for fire-fighting or for salvage purposes or a police vehicle, shall operate the multi-toned horn (siren) and the multi-coloured light with flasher only when the vehicle is responding to an emergency call or an alarm.

(2) An emergency vehicle, while its multi-toned hornand the flasher is on, shall have the right of way over all the other vehicles.

(3) In a case of utmost emergency like saving a human life, warding off serious damage to health of a person, prevent commission of a crime or damage to essential services or fight a fire, the driver of the emergency vehicle with the multi-toned horn and the multi-coloured flasher operating may, with utmost care, responsibility and caution-

i. cross a red traffic light;

ii. exceed the specified speed limit;

iii. drive on a highway hard shoulder; and

iv. drive in either direction on a “NO ENTRY” or a “One Way” street.

(4) The priority within the emergency vehicles as referred in sub-regulation (1) shall be as follows-

v. first, a fire service vehicle;

vi. second, an ambulance;

vii. third, a police service vehicle; and

viii. fourth, any other vehicle designated by the State Government as an emergency management vehicle such as for maintenance of essential public services like water and power supply or public transport.

(5) When an emergency vehicle, with its multi-toned horn and light flasher on, is overtaking, approaching or entering the path of any other vehicle, the person driving or riding such other vehicle shall, unless otherwise directed by a police officer-

(a) yield the right of way to the emergency vehicle, by driving to the left as close as practicable to the kerb or edge of the roadway in the shortest possible time;

(b) stop, if required, and remain stationary in that position until the emergency vehicle has passed.

(6) The driver shall, unless otherwise directed by the crew of the emergency vehicle, maintain a distance of at least fifty meters from the emergency vehicle on which multi-toned hornor flasher lights or both are operating.

(7) A road maintenance or public utility maintenance vehicle may be parked on the roadway, if necessary, after switching on the hazard warning lights and placing a warning device with necessary information at least fifty meters behind the parked vehicle, and take all other precautions to ensure safety of other road users.

28. Vehicle breakdown.- In case a vehicle with more than two wheels has broken down at a place where it can be recognised in time as a stationary obstacle,-

i. the hazard warning lights of the vehicle shall be switched on immediately;

ii. on highways and major roads with fast speed, reflective traffic warning triangles shall be placed at a distance of fifty meters behind the broken-down vehicle; and

iii. if there is a bend on the road where the vehicle is parked, reflective traffic warning triangles shall be placed before the bend.

29. Action in case of vehicular accident.- (1) The driver shall maintain absolute cool in case of an accident and do nothing that may harm the other driver or vehicle involved in the accident or any other person.

(2) **Minor accidents, -**

i. the driver or drivers, as the case may be, involved in the accident shall alight from the vehicle and take pictures of the vehicles, the occupants of the vehicles, any pedestrian or any other person or vehicle, whether motor vehicle or otherwise, and the accident scene, if possible;

ii. the drivers shall pull the vehicles out of the road immediately so that the vehicles are clear of on coming traffic;

iii. the driver or drivers shall place reflective traffic warning triangles near or around the vehicles to alert other drivers, and turn on hazard warning lights;

iv. the driver or the riders shall immediately call the police or ambulance or nearest hospital if anyone has been hurt;

v. The driver shall not leave the scene of an accident, even if it was a minor accident, until everything has been resolved to everyone's satisfaction.

(3) Major accidents,-

(a) every person involved in the accident shall check himself and other occupants of the vehicle or vehicles involved in the accident to see if anyone has been injured;

(b) if someone has been hurt, medical assistance and police shall be called immediately;

(c) once the condition of the driver and the passengers or riders has stabilised, the persons involved in the accident shall try to take pictures of the persons and vehicles involved in the accident, including the registration plates of the vehicles and the accident scene;

(d) the driver or drivers involved in the accident shall move the vehicles vehicle off to the side of the road, if possible, at the earliest;

(e) if it is not possible to move the vehicle or vehicles, the driver or drivers involved in the accident shall remain in the area of the incident until the police arrives unless the same is not possible due to injuries sustained in the accident;

(f) the driver and the other occupants shall cooperate with the police authorities in the investigation of the accident;

(g) if involved in an accident with another vehicle, the drivers shall exchange the following information with that driver: name, address, phone number, insurance company, policy number, driving license number and registration number of the vehicle.

(4) Interacting with the other driver,-

(i) once the initial shock wears off and it is apparent that no one has been seriously hurt, tempers may flare and all persons involved in the accident shall refrain from losing temper or provoking any other person or persons;

(ii) the driver or any other occupant shall get the other driver's name, address, contact information and insurance details, and provide the same to him;

(iii) if an amicable settlement cannot be made, call the police immediately;

(iv) if police has been informed, all persons involved in the accident shall remain at the scene until the investigators arrive and permit them to leave.

30. Towing a vehicle.- (1) No two-wheeled motor vehicle shall be towed by another vehicle.

(2) The maximum speed while towing a vehicle shall not exceed twenty-five kilometres per hour.
(3) The distance between the towed vehicle and the towing vehicle shall not exceed five meters;
(4) The tow ropes or chains shall be prominently visible to other by road users.
(5) A retro reflective "ON TOW" sign not less than ten centimetres in height and two centimetres in width with spacing of two centimetres between the letters on white background shall be displayed on the front of the towing vehicle and at the rear of the vehicle being towed and a driver shall not tow a vehicle at night, in darkness or in adverse weather conditions unless the hazard warning lights of both vehicles are switched on:

Provided that if the hazard warning lights of the vehicle being towed are not functional, it shall not be towed unless the hazard warning lights of the towing vehicle are switched on.

31. Vehicle lighting.- (1) The driver shall use the specified lighting devices at nightfall, at night and at dawn and at other times when visibility is poor:

Provided that the driver of a two-wheeled motor vehicle shall drive with dipped head lights switched on during the day time also.

(2) The lighting devices of a vehicle shall at all times be kept in good working condition and no lighting device shall be obscured by any object or dirt.
(3) No driver shall-

i. drive the vehicle with parking lights only, unless so directed by a police officer in uniform or any other authorised person; and

ii. use high beam inappropriately or for long duration or on well-lit roads.

(4) High beam shall be dipped in good time on the approach of an oncoming vehicle or when driving close behind another vehicle.
(5)The driver shall switch on the fog light headlamps only when visibility is considerably affected due to fog, dust, storm, rain or snow and only with dipped head lamps.

32. Driving of tractors and goods vehicles.- (1)The driver of a tractor shall not carry, or allow any person to be carried, on the tractor.

(2) The number of persons in the driver's cabin of a goods carriage shall not be more than the number of persons specified in the certificate of registration of the vehicle.
(3) No person shall be carried in a goods carriage for hire or reward.

33. Lane splitting (lane within a lane).- In urban areas, on roads having a maximum speed limit of forty kilometres per hour, wherever specifically permitted by road signs, motor cyclists may filter between three and four wheeled vehicles when the speed difference between the motor cyclists and the other vehicles does not exceed fifteen kilometres per hour.

34. Restriction to carriage of dangerous substances.- No driver of a public service vehicle shall carry, or allow any other person to carry, any explosive or highly inflammable or otherwise dangerous substance except the fuel and lubricants required for the vehicle.

35. Projection of loads.- (1) The driver shall at all times ensure that loads, including load restraints and loading equipment, in the vehicle are stowed and restrained in such manner that these cannot slip, fall over, roll around, fall off the vehicle or produce avoidable noise, even in an emergency braking situation or if the vehicle swerves suddenly.

(2) No driver shall drive in any public place a motor vehicle which is loaded in a manner which is likely to cause danger to any person.

(3) The load or any part thereof, or any other object in the vehicle shall not extend laterally beyond the sides of the body or to the front or to the rear, or exceed in height or weight the limits specified in the certificate of registration of the vehicle.

36. Registration plates.- (1) No vehicle shall be driven or parked on a public road without displaying registration plates as prescribed by the Act and the rules made thereunder.

(2) The registration plates on the front and at the rear of the vehicle shall be clearly visible and legible and no object whatsoever or dirt shall obstruct clear view of the entire registration place.

(3) No letter, word, figure, picture or symbol other than the registration number shall be displayed or inscribed or written on the registration plates.

(4) No load or other goods shall be placed on a motor vehicle in such manner as to fully or partly hide the registration plate.

37. Use of mobile telephones and communication devices.- (1) The driver shall not use any hand held mobile phone or other communication device.

(2) No trainer or supervisor shall use a mobile phone or other communication device while training or supervising a learner driver.

38. Production of documents.- (1) The driver of a transport vehicle shall always carry with him the following documents in original, except for a document that might have been seized by an authorised person or authority, namely:-

(a) driving license;

(b) certificate of taxation;

(c) certificate of registration;

(d) certificate of insurance;

(e) fitness certificate; and

(f) pollution under control certificate.

(2) The driver of a vehicle transporting hazardous or dangerous goods shall carry documents specified in rules 132 and133 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(3) The driver of a non-transport vehicle shall always carry with him-

(a) the driving license and pollution under control certificate; and

(b) certificate of registration and certificate of insurance or photocopies thereof.

(4) The driver shall, on demand by police officer in uniform or an officer of the Motor Vehicles Department or any other officer authorised by the State Government in this behalf, produce the documents for inspection:

Provided that a driver may, if any of the documents has been submitted to or has been seized by any officer or authority under the Act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force, produce, in lieu of the document, a receipt or other acknowledgement issued by such officer or authority in respect thereof:

Provided further that where the original certificate of registration or the certificate of insurance specified in clause (b) of sub-regulation (3) is not available with the driver, the owner or driver shall produce such documents before the competent authority, which had directed their production, within fifteen days, if required by that authority.

39. Pedestrian crossings, footpaths and cycle tracks.- (1) While approaching an uncontrolled pedestrian crossing, the driver shall slowdown, stop and give way to pedestrians, users of invalid carriages and wheelchairs.

(2) If traffic has come to a standstill, the driver shall not drive the vehicle on the pedestrian crossing if he is unlikely to be able to move further and thereby block the pedestrian crossing.

(3) When any road is provided with a footpath or cycle track, no vehicle shall drive on such footpath or track, except on the directions of a police officer in uniform or where traffic signs permitting such movement have been displayed.

40. Knowledge and understanding of road signs, markings, traffic control signals, the Act and the Rules.- Every driver shall be conversant with and possess adequate knowledge and understanding of the following, namely:-

(a) road signs, markings and traffic control signals;

(b) Provisions of the following sections of the Motor Vehicles Act, 1988, namely:-

(i) section 19: Grounds for disqualification or revocation of driving license;

(ii) section 112: Limits of speed;

(iii) section 113: Limit of weight and limitations on use;

(iv) section 121: Signals and signalling devices;

(v) section 122: Leaving vehicles in dangerous positions;

(vi) section 125: Obstruction of a driver;

(vii) section 132: Duty of a driver to stop in certain cases;

(viii) section 133: Duty of owner of motor vehicle to give information;

(ix) section 134: Duty of a driver in case of an accident and injury to a person;

(x) section 185: Driving by a drunken person or under the influence of drugs;

(xi) section 186: Driving when mentally or physically unfit to drive;

(xii) section 187: Punishment for offences relating to accident;

(xiii) section 194: Driving vehicle exceeding permissible weight;

(xiv) section 200: Composition of certain offences; and

(xv) section 207: Power to detain vehicles without Certificate of Registration or Permit;

(c) provisions of the Central Motor Vehicles Rules, 1989-

(i) rule 21: Acts which constitute nuisance or danger to the public for disqualifying a person from holding a driving license;

(ii) rule 133: Responsibility of the driver;

(iii) rule 136: Driver to report to the police station about accident;

(d) provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. 25035/101/2014-RS, dated the 21st January, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1 relating to the protection of good samaritans.

[No. RT-11028/13/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.29 14:52:49 +05'30'